

असाधारण सामान्य बैठक के लिए नोटिस
Notice for Extraordinary General Meeting

शुक्रवार, 23 दिसम्बर, 2011, वडोदरा
Friday, 23rd December, 2011, Vadodara



बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

India's International Bank

निवेशक सेवा विभाग:

बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर, प्रथम तल, सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.

INVESTORS' SERVICES DEPTT:

Baroda Corporate Centre, 1st Floor, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051.

Email: investorservices@bankofbaroda.com

विषय CONTENTS

	पृष्ठ सं. Page No.
नोटिस NOTICE	1
व्याख्यात्मक विवरण EXPLANATORY STATEMENT	5
घोषणा-पत्र DECLARATION	15/16
नामांकन फार्म NOMINATION FORM	17/18
उपस्थिति पर्ची एवं प्रवेश पत्र ATTENDANCE SLIP AND ENTRY PASS	23/24
प्रॉक्सी फार्म PROXY FORM	25/26
सम्बद्ध अधिनियमों एवं विनियमों का सारांश आदि. EXTRACT OF RELEVANT ACTS AND REGULATIONS ETC.....	27

कार्यक्रमों की प्रमुख तारीखें IMPORTANT CALENDAR OF EVENTS

चुनाव में भाग लेने के लिए पात्र शेयरधारकों के निर्धारण की कट-ऑफ तारीख Cut-off date for ascertaining the shareholders entitled to participate in the election	शुक्रवार, 04 नवम्बर, 2011 Friday, 4th November, 2011
नामांकन फार्म जमा करने की अंतिम तारीख Last date for submission of nomination forms on or before	गुरुवार, 08 दिसम्बर, 2011 (शाम 5.00 बजे तक) Thursday, 8th December, 2011 (Upto 5.00 p.m.)
नामांकन फार्मों की जांच Scrutiny of Nominations	शुक्रवार, 09 दिसम्बर, 2011 Friday, 9th December, 2011
प्रॉक्सी फॉर्म और प्राधिकृत की नियुक्ति से संबंधित संकल्प के प्राप्त होने की अंतिम तारीख Last date of receipt of Proxy Forms and resolutions appointing Authorized Representatives	शनिवार, 17 दिसम्बर, 2011 (दोपहर 2.00 बजे तक) Saturday, 17th December, 2011 (Upto 2.00 p.m.)
असाधारण सामान्य बैठक की तारीख एवं समय Date and time of Extraordinary General Meeting	शुक्रवार, 23 दिसम्बर, 2011 (सुबह 10.00 बजे) Friday, 23rd December, 2011 (At 10.00 a.m.)



प्रधान कार्यालय — मांडवी, बड़ौदा 390 006

कार्पोरेट कार्यालय : बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर, सी-26, जी ब्लॉक,

बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई — 400 051

Head Office: Mandvi, Baroda — 390 006

Corporate Office: Baroda Corporate Centre, C-26, G Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai — 400 051

नोटिस

एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि निम्नलिखित कार्यों का संचालन करने के लिए बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक **शुक्रवार, 23 दिसम्बर, 2011** को सुबह 10.00 बजे सर सयाजीराव नगर गृह, वडोदरा महानगर सेवा सदन, बैंक ऑफ़ बड़ौदा शताब्दी वर्ष (2007-2008), टी.पी.-1, एफ.पी. 549/1, जीईबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा — 390020 में संपन्न होगी.

1. अधिमानी आधार पर इक्विटी शेयरों/परिवर्तनीय वारंटों का निर्गम

विशेष संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन सहित अथवा संशोधन के बिना पारित करना.

"यह संकल्प किया जाता है कि राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (इसके बाद जिसे 'योजना' कहा गया है) और बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य (शेयर एवं बैठक) विनियमन, 1998 के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (इसके बाद जिसे 'अधिनियम' कहा गया है) के प्रावधानों के अनुसरण में और भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत सरकार, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड और/या इस बारे में अपेक्षित अन्य किसी प्राधिकारी के अनुमोदन, सहमति, मंजूरी, यदि कोई हो, के अध्यक्षीन और ऐसे अनुमोदन की मंजूरी में उनके द्वारा निर्धारित ऐसे नियमों, शर्तों और उसमें संशोधनों के अध्यक्षीन और जिस पर बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सहमति होगी और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2009 (सेबी आईसीडीआर विनियमन) और भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य सभी संबद्ध प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियमों के अध्यक्षीन और स्टॉक एक्सचेंजों, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ किए गए सूचीकरण करार के अध्यक्षीन बैंक के शेयरधारकों की सहमति है और एतद्वारा बैंक के निदेशक मंडल (इसे यहां इसके पश्चात् "बोर्ड" कहा गया है जिसमें एक समिति का समावेश होगा जिसे बोर्ड द्वारा इस संकल्प के तहत प्रदत्त शक्तियों सहित अपनी शक्तियों को प्रयुक्त करने के लिए गठित किया जाएगा और/या गठित कर सकेगा) को सेबी आईसीडीआर विनियमन के विनियम 76 (1) के अनुसार बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रीमियम पर 10 रुपए प्रति इक्विटी शेयर नकद मूल्य पर 775 करोड़ रुपये के ऐसी संख्या में इक्विटी शेयरों/ वारंटों (इक्विटी शेयरों की समतुल्य संख्या में परिवर्तनीय) का सृजन

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of BANK OF BARODA will be held on **Friday, 23rd December, 2011** at 10.00 A.M. at Sir Sayaji Rao Nagargriha, Vadodra Mahanagar Seva Sadan, Bank of Baroda Centenary Year (2007-2008), T. P. — 1, F. P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Vadodara — 390 020 to transact the following business:

1. Issue of Equity Shares/Convertible Warrants on Preferential Basis

To consider and if thought fit, pass with or without modification, the following as a Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the 'Act') read with the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 (hereinafter referred to as the 'Scheme') and Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998 and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (SEBI ICDR Regulations) and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall deemed to include a committee which the Board may have constituted or / may constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this resolution) to create, offer, issue and allot such number of Equity Shares /Warrants (convertible into equal number of Equity Shares), of Rs.10/- each for cash at a premium to be

करने, उन्हें ऑफ़र करने, उन्हें जारी करने और उन्हें भारत सरकार को अधिमानता आधार पर आबंटित करने की मंजूरी दी जाती है."

"यह भी संकल्प किया जाता है कि निर्गम मूल्य के निर्धारण हेतु संबद्ध तारीख 23 नवम्बर, 2011 है."

"यह भी संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल के पास भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक/भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड /स्टॉक एक्सचेंजों, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं अथवा ऐसे अन्य उचित प्राधिकारियों से शेयरों के निर्गम, आबंटन एवं उनको सूचीबद्ध करने हेतु उनके अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं मंजूरी प्रदान करने /मंजूरी के समय उक्त प्रस्ताव में यथा अपेक्षित अथवा लागू किए गए किसी भी प्रकार के आशोधन को निदेशक मंडल की सहमति के अनुरूप स्वीकार करने का प्राधिकार एवं शक्ति होगी."

"यह भी संकल्प किया जाता है कि जारी किए जाने वाले उक्त इक्विटी शेयर / परिवर्तनीय वारंट बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समतुल्य माने जाएंगे और यदि कोई लाभांश घोषित किया जाता है तो ऐसी घोषणा के समय प्रवृत्त सांविधिक दिशा-निर्देशों के अनुसार उसके हकदार होंगे."

"यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को लागू करने के प्रयोजन हेतु बोर्ड पूर्णतः अपने विवेकानुसार आवश्यक, उचित तथा वांछनीय प्रतीत होने वाले ऐसे सभी कार्यों, विलेखों, मामलों तथा कृत्यों को करने के लिए प्राधिकृत है और एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है और इक्विटी शेयरों परिवर्तनीय वारंटों के निर्गम के संबंध में उठने वाले किसी भी प्रश्न, समस्या या संदेह का निपटान करने और ऐसे सभी कार्यों, विलेखों, मामलों और कृत्यों को करने, अपने पूर्णतः विवेकानुसार शेयरधारकों की आगे कोई और सहमति या अनुमोदन लिए बिना आवश्यक, वांछनीय या जरूरी सभी दस्तावेजों और लिखतों को अंतिम रूप देने और उन्हें निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत है अथवा शेयरधारकों की ओर से करने और उनकी ओर से अभिप्रेत को करने के लिए अधिकृत करने हेतु इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा अभिव्यक्त किए गए अनुसार उनका अनुमोदन माना जाएगा."

"यह भी संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल प्राधिकृत है और एतद्वारा उसे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा कार्यकारी निदेशकों अथवा बैंक के किसी ऐसे अन्य अधिकारी (अधिकारियों) को, जिसे वह उचित समझे, उपरोक्त संकल्प लागू करने हेतु, इसमें यहां प्रदत्त सभी अथवा किसी भी शक्ति को प्रत्यायोजित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है."

2. बैंक के तीन शेयरधारक निदेशकों का चुनाव

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (इसके बाद जिसे "विनियमन अधिनियम" कहा गया है), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (इसके बाद इसका उल्लेख "योजना" के रूप में किया गया है) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (इसके बाद इसे "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 9 (3)(i) और बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य (शेयर एवं बैठक) विनियमन, 1998 (इसका इसके बाद उल्लेख "विनियमन" के रूप में किया गया है) और भारतीय रिज़र्व बैंक की (इसका उल्लेख भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना

determined by the Board in accordance with Regulation 76(1) of SEBI ICDR Regulations, aggregating to Rs. 775 crores, on preferential basis to **Government of India.**"

"RESOLVED FURTHER THAT the **Relevant Date** for determination of the Issue Price is 23rd November, 2011."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the Government of India / Reserve Bank of India / Securities and Exchange Board of India / Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the said equity shares/ convertible warrants to be issued shall rank pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares/convertible warrants and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution"

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Chairman and Managing Director or Executive Directors or such other officer(s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."

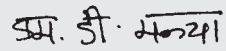
2. Election of Three Shareholder Directors of the Bank

To elect THREE Directors from amongst the shareholders of the Bank, other than the Central Government, in respect of whom valid nominations are received in terms of Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as "the Act"), read with the Banking Regulation Act, 1949 (hereinafter referred to as "the Regulation Act"), the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as "the

के रूप में किया गया है) अधिसूचना सं.डीबीओडी सं.बीसीसं.46 और 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 1.11.2007 और सं.डीबीओडी.बीसी. सं.95/29.39.001/2007-08 दिनांक 23.05.2011 के अनुसार केन्द्रीय सरकार से भिन्न बैंक के शेयरधारकों में से, जिनके वैध नामांकन प्राप्त हुए हैं, तीन निदेशकों का चुनाव करने के लिए निम्नलिखित संकल्प पारित करना:

यह संकल्प पारित किया जाता है कि संबद्ध योजना, उसके अंतर्गत निर्मित विनियमनों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 (3)(i) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार से भिन्न शेयरधारकों में से चुने गये तीन निदेशक अपना कार्यभार संभालने के लिए दिनांक 24 दिसम्बर, 2011 से बैंक के निदेशकों के रूप में एतद्वारा नियुक्त किये जाते हैं और वे ऐसे कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि पूर्ण होने तक अपने पद पर बने रहेंगे.

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते बैंक ऑफ बड़ौदा



(एम.डी. मल्ल्या)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुंबई

दिनांक : 31.10.2011

Scheme”) and the Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998 (hereinafter referred to as “the Regulations”) and Notification Nos. DBOD. No. BC. No. 46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01-11-2007 and No. DBOD.BC.No. 95/29.39.001/2010-11 dated 23-05-2011 of Reserve Bank of India (hereinafter referred to as “RBI Notification”) by passing the following resolution:

“**RESOLVED THAT** three Directors elected from amongst shareholders other than the Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Act read with relevant Scheme, Regulations made thereunder and RBI Notification, be and are hereby appointed as the Directors of the Bank to assume office from 24th December 2011 and shall hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption”.

By order of the Board of Directors
for **BANK OF BARODA**



(M. D. Mallya)

Chairman & Managing Director

Place: Mumbai

Date: 31.10.2011

नोट

1. व्याख्यात्मक विवरण

बैठक के कारोबार के बारे में आधारभूत तथ्यों के बारे में जानकारी देनेवाला व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।

2. मताधिकार

अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2ई) के प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय सरकार से भिन्न तदनुसूची नये बैंक का कोई भी शेयरधारक बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के 1 प्रतिशत से अधिक धारित शेयरों के बारे में मताधिकार प्रयुक्त करने का पात्र नहीं होगा।

उक्त के अधीन रहते हुए, विनियम 68 के अनुसार, प्रत्येक शेयरधारक, जो रिकार्ड तारीख अर्थात् शुक्रवार दिनांक 4 नवम्बर, 2011 को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत हो चुका है, बैठक में हाथ उठाकर मत देने की स्थिति में एक मत और निर्वाचन होने की स्थिति में अपने द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत देने का पात्र होगा।

विनियमन के विनियम 10 के अनुसार, यदि शेयर दो या उससे अधिक व्यक्तियों के नाम पर हैं तो मतदान के लिए रजिस्टर में अंकित प्रथम व्यक्ति ही उन शेयरों का एकलधारक समझा जायेगा। अतः यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर हैं तो प्रथम व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने का पात्र है और केवल वह ही बैठक में नामांकन करने, चुनाव लड़ने तथा मत देने का पात्र होगा।

3. रिकार्ड तारीख

नोटिस में किये गये उल्लेखानुसार विनियमन के विनियम 12 के अनुसरण में उन शेयरधारकों के निर्धारण के प्रयोजन से रिकार्ड तारीख शुक्रवार दिनांक 4 नवम्बर, 2011 है जो केन्द्रीय सरकार से भिन्न बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन निदेशकों के चुनाव में भाग लेने अर्थात् नामांकन करने, चुनाव में खड़े होने और मतदान की प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र होंगे।

4. प्रॉक्सी की नियुक्ति

बैठक में भाग लेने और मत देने के लिए पात्र शेयरधारक भी स्वयं की बजाए बैठक में भाग लेने और मत देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने के लिए पात्र होगा / होगी और ऐसे प्रॉक्सी का बैंक का शेयरधारक होना जरूरी नहीं है।

तथापि, ऐसे नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का अधिकार नहीं होगा।

कोई ऐसा व्यक्ति प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं होगा जो बैंक ऑफ़ बड़ौदा का अधिकारी अथवा कर्मचारी है।

विनियमन 70 (vi) के अनुसार प्रॉक्सी लिखत का अनुदाता ऐसे लिखत से संबद्ध बैठक में स्वयं मत देने का हकदार नहीं होगा।

प्रॉक्सी फार्म को प्रभावी करने के लिए यह अनिवार्य है कि वह बैंक के प्रधान कार्यालय में सहायक महाप्रबंधक (एमएल), बैंक ऑफ़ बड़ौदा, 8

NOTES

1. EXPLANATORY STATEMENT

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

2. VOTING RIGHTS

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Act, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of one per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

Subject to the above, as per Regulation 68, each shareholder who has been registered as a shareholder on the **Cut-off Date i.e., Friday the 4th November 2011**, shall have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Hence if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to nominate, contest and vote in the meeting.

3. CUT-OFF DATE

Pursuant to Regulation 12 of the Regulations **Friday, the 4th November 2011 is the Cut-off Date** for the purpose of determining the names of shareholders entitled to participate in the election i.e. to nominate, contest and vote for the election of THREE directors representing the shareholders of the Bank other than the Central Government, as mentioned in the Notice.

4. APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING, IS ALSO ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/ HERSELF, AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

However, the proxy so appointed will not have any right to speak at the Meeting.

No person shall be appointed as a proxy who is an officer or an employee of Bank of Baroda.

As per the Regulations 70(vi), the grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

The proxy form, in order to be effective, must be received by the Bank at its Head Office, by the Assistant General Manager (AML), Bank of Baroda, 8th floor, Suraj Plaza-1,

वां तल, सूरज प्लाजा – 1, सयाजीगंज, वड़ोदरा – 390 005 को बैठक की तारीख से चार दिन पहले अर्थात् **शनिवार दिनांक 17 दिसम्बर 2011 को दोपहर 2.00 बजे तक** अथवा इससे पूर्व मिल जाना चाहिए.

5. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी के यथाविधि प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने के लिए अथवा वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे यथा विधि प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने संबंधी संकल्प की एक प्रति, जिसे उसे बैठक के अध्यक्ष, जिसमें यह पारित किया गया था, द्वारा एक सत्य प्रतिलिपि के रूप में अधिप्रमाणित किया गया हो, बैठक की तारीख से 4 दिन पूर्व अर्थात् **शनिवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2011 को बैंक का कार्य समाप्त होने अर्थात् दोपहर 2.00 बजे तक या इससे पहले** सहायक महाप्रबंधक (एमएल), बैंक ऑफ बड़ौदा, 8 वां तल, सूरज प्लाजा – 1, सयाजीगंज, वड़ोदरा – 390 005 में स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय के पास जमा न कर दिया गया हो.

6. उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र-सह मतदान पर्ची

शेयरधारकों की सुविधा के लिए, इस नोटिस के साथ उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश-पत्र सह मतदान पर्ची संलग्न है. शेयरधारकों / प्रॉक्सी धारकों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि उसमें निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और उसे बैठक के स्थान पर सुपुर्द कर दें. प्रॉक्सी / शेयरधारकों के प्राधिकृत प्रतिनिधि, उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पत्र में जैसा मामला हो, स्पष्ट करें कि वह 'प्रॉक्सी' है या 'प्राधिकृत प्रतिनिधि' है. मतदान के समय मतदान पर्ची का हिस्सा मतदान पत्र लेने के लिए सुपुर्द करना होगा.

व्याख्यात्मक विवरण

1. अधिमानी आधार पर इक्विटी शेयरों / परिवर्तनीय वारंटों का निर्गम

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पूंजी निर्गम तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2009 के अनुसार किये जाने के लिए अपेक्षित प्रकटीकरण

क) अधिमानी निर्गम का उद्देश्य :

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पूंजी आधार को सुदृढ़ करने हेतु भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भारत सरकार की धारिता को 58% तक बढ़ाने का निर्णय लिया है. इस समय, हमारे बैंक में केन्द्रीय सरकार की शेयरधारिता 57.03% है. तदनुसार भारत सरकार ने हमारे बैंक में 775 करोड़ रुपये (सात सौ पचहत्तर करोड़ रुपये) की राशि प्रदान करने का निर्णय किया है जोकि

Sayajiganj, Vadodara – 390 005 not later than FOUR DAYS before the date of the meeting, i.e. **on or before the closing hours i.e. 2.00 p.m. of Saturday, 17th December, 2011.**

5. APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the Meeting as a duly authorised representative of any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorised representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank with the Assistant General Manager (AML), Bank of Baroda, 8th floor, Suraj Plaza-1, Sayajiganj, Vadodara – 390 005 not later than FOUR DAYS before the date of the Meeting i.e., on or before the closing hours i.e. **2.00 p.m. of Saturday, 17th December, 2011.**

6. ATTENDANCE SLIP - CUM - ENTRY PASS- CUM-BALLOT PAPER PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum-Entry Pass-cum-Ballot Paper Pass is annexed to this Notice. Shareholders/Proxy holders/ Authorized Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue of the meeting. Proxy/ Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance Slip-cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be.

The portion of Ballot Paper Pass shall be surrendered to obtain Ballot Paper at the time of Poll.

EXPLANATORY STATEMENT

1. Issue of Equity Shares/ convertible Warrants on Preferential Basis

Disclosure as required to be made in terms of Securities & Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations 2009.

a) Objects of the Preferential Issue

In an initiative to strengthen the capital of the Public Sector Banks, the Govt. of India decided to raise the Government of India's holding in Public Sector Banks (PSBs) to 58%. At present, in our Bank, the holding of Central Government is 57.03%. Accordingly the Government of India has decided to infuse a sum of Rs. 775 crore (Rupees Seven hundred Seventy Five crore) in our Bank, by way of Preferential issue of equity shares/ warrants

सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार भारत सरकार के पक्ष में इक्विटी शेयरों / वारंटों (जोकि 31.03.2012 तक शेयरों में परिवर्तित होंगे) के अधिमानी निर्गम के रूप में होंगे. इस प्रदत्त पूंजी का बैंक की पूंजी पर्याप्तता को सुधारने तथा सामान्य व्यावसायिक आवश्यकताओं में सहायता के रूप में उपयोग किया जायेगा.

ख) यह अधिमानी निर्गम बैंक के प्रवर्तक भारत सरकार द्वारा संपूर्ण रूप से अभिदत्त होगा. निर्गम मूल्य का निर्धारण, सेबी आईसीडीआर विनियमन के विनियम 76 (1) के अनुसार होगा. निर्गम-मूल्य निर्धारण के लिए संबद्ध तारीख 23 नवम्बर, 2011 है.

ग) निर्गम –पूर्व एवं उपरांत शेयरधारिता का स्वरूप

क्र. सं.	श्रेणी	निर्गमपूर्व		निर्गम उपरांत	
		धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता प्रतिशत	धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता प्रतिशत
क	प्रवर्तक की धारिता (भारत सरकार)	223279579	57.03	**	**
ख	गैर प्रवर्तक धारिता	168266500	42.97	168266500	**
	कुल	391546079	100.00	**	100.00

** भारत सरकार को अधिमानी निर्गम सेबी आईसीडीआर विनियमन के विनियम 76 (1) के अनुसार बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रीमियम पर 10 रुपये प्रति शेयर पर कुल 775 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयरों / वारंटों (इक्विटी शेयरों की समतुल्य संख्या में परिवर्तनीय) में होगा.

- घ) सेबी आईसीडीआर विनियमनों में विनिर्दिष्ट समय सीमा के अंदर बैंक निर्गम प्रक्रिया को पूरा करने का प्रयास कर रहा है.
- च) चूंकि संपूर्ण निर्गम बैंक के मुख्य शेयरधारक और प्रवर्तक भारत सरकार को अधिमानता आधार पर आबंटित किया जाना प्रस्तावित है, इसलिए नियंत्रण के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा.
- छ) भारत सरकार की शेयरधारिता निर्गम पूर्व एवं निर्गम उपरांत निम्नानुसार होगी.

	शेयरों की संख्या	पूंजी का प्रतिशत
निर्गम पूर्व	223279579	57.03
निर्गम उपरांत	** उक्त (ग) में दी गई टिप्पणी के अनुसार	** उक्त (ग) में दी गई टिप्पणी के अनुसार

ज) बैंक का इक्विटी शेयर छः महीने से अधिक से सूचीबद्ध है और इस कारण सेबी आईसीडीआर विनियमन के विनियम 76 (3) एवं

(to be converted into shares by 31.03.2012) in favour of the Government of India as per SEBI guidelines. The capital raised would be utilized to improve the Capital Adequacy and to fund general business needs of the Bank.

b) **This entire preferential issue will be subscribed by the Government of India** – the Promoter of the Bank. The Issue Price shall be determined in accordance with Regulation 76(1) of SEBI ICDR Regulations. The relevant date for ascertaining the Issue Price is 23rd November, 2011.

c) **Shareholding Pattern before and after the Issue**

Sl. No.	Category	Before the Issue		After the issue	
		No. of shares held	Percentage of share-holding	No. of shares held	Percentage of share-holding
A	Promoter's Holding (Government of India)	223279579	57.03	**	**
B	Non – Promoter Holding	168266500	42.97	168266500	**
	Total	391546079	100.00	**	100.00

**The Preferential issue to Government of India will be of such number of Equity Shares / Warrants (convertible into equal number of Equity Shares) of Rs.10/- each for cash at a premium to be determined by the Board in accordance with Regulation 76(1) of SEBI ICDR Regulations, aggregating to Rs. 775 crores.

- d) The Bank endeavours to complete the issue process within the prescribed time lines as indicated in SEBI ICDR Regulations.
- e) As the entire issue is proposed to be allotted to Government of India, the major shareholder and Promoter of the Bank, on preferential basis, there would not be any change in control.
- f) The Pre and Post issue shareholding of the Government of India would be as under:

	Number of Shares	Percentage to Capital
Pre- issue	223279579	57.03
Post –issue	** as per remarks given at c) above	**as per remarks given at c) above

g) The equity shares of the Bank have been listed for more than six months and accordingly, provisions of Regulation 76 (3) and 78 (5) of SEBI ICDR

78 (5) और सेबी (आईसीडीआर) विनियमन 2009 के विनियम 73 (1) (एफ) तथा (जी) के अंतर्गत प्रकटीकरण संबंधी प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

- झ. भारत सरकार को जारी एवं आबंटित किए जाने वाले सभी शेयर / परिवर्तनीय वारंट आबंटन की तारीख की तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक अवरोद्ध रहेंगे।
- ट. सांविधिक लेखापरीक्षक (कों) द्वारा जारी किया गया इस आशय का प्रमाण-पत्र कि यह निर्गम इन विनियमनों की अपेक्षाओं के अनुरूप किया जा रहा है, असाधारण सामान्य बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।
- ठ. भारत सरकार द्वारा धारित सभी शेयर अभौतिकरूप में हैं तथा बैंक स्टॉक एक्सचेंजों, जहाँ बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ किये गये सूचीकरण करार में विनिर्दिष्ट इक्विटी शेयरों की निरंतर सूचीबद्धता की शर्तों का अनुपालन कर रहा है। भारत सरकार ने संबद्ध तारीख से पहले के छः महीनों के दौरान कोई इक्विटी शेयर नहीं बेचा है।

2. बैंक के 3 शेयरधारक निदेशकों का चयन

- **निदेशकों के चुनाव के संबंध में शेयरधारकों के अधिकार**
बैंक की शेयर पूंजी में भारत सरकार से भिन्न शेयरधारकों की धारिता का प्रतिशत **42.97%** है। अधिनियम की धारा 9 (3) (i) के अनुसार, बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक के शेयरधारकों के प्रतिनिधि के रूप में अधिकतम 3 निदेशक (केंद्रीय सरकार को छोड़कर) रख सकता है। इस समय तीन शेयरधारक निदेशक
 1. डॉ. धर्मेंद्र भण्डारी
 2. डॉ. दीपक फाटक तथा,
 3. श्री मौलीन वैष्णव
23 दिसंबर 2011 तक पद पर बने रहेंगे।
तदनुसार 24 दिसंबर 2011 को होने वाली रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 निदेशकों (केंद्रीय सरकार से भिन्न) के चुनाव के लिए बैंक एक असाधारण सामान्य बैठक का आयोजन कर रहा है।
अतः शेयरधारक (केंद्रीय सरकार से भिन्न) विभिन्न तथा संबद्ध अधिनियमों, विनियमन अधिनियम, योजना, विनियमनों, अधिसूचना के प्रासंगिक अंशों, जिनका नीचे उल्लेख किया गया है, में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार अपने नामांकन भेजने के पात्र हैं। चुने गए निदेशक 24.12.2011 से अपना पदभार संभालेंगे तथा कार्यारंभ की तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक के लिए पद पर बने रहेंगे।
- **विधिक प्रावधान**
इस विषय से संबंधित विभिन्न अधिनियमों / योजना / विनियमनों / अधिसूचना के प्रावधान नीचे तालिका में दिए गए हैं:

Regulations and the disclosures under Regulation 73 (1) (f) & (g) of SEBI ICDR Regulations, 2009 are not applicable.

- h. All the shares/ convertible warrants to be issued and allotted to the Government of India shall be locked in for a period of three years from the date of Allotment.
- i. The Certificate issued by the Statutory Auditor(s) certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of these regulations will be tabled at the Extraordinary General Meeting.
- j. All the shares held by the Government of India are in dematerialized mode and the Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed. The Government of India has not sold any equity shares of the Bank during the six months preceding the relevant date.

2. Election of Three Shareholder Directors of the Bank

- **RIGHTS OF SHAREHOLDERS TO ELECT DIRECTORS**
Shareholders other than Government of India hold **42.97%** of the share capital of the Bank. As per Section 9(3) (i) of the Act, Bank of Baroda is entitled to have a maximum of Three Directors representing the shareholders of the Bank (other than the Central Government). The present three Shareholders-Directors viz.,
 1. Dr. Dharmendra Bhandari
 2. Dr. Deepak Phatak and
 3. Shri Maulin Vaishnav,
hold office till 23rd December 2011.

Accordingly, with a view to fill in the vacancies that will arise on 24th December 2011 an Extraordinary General Meeting of the Bank has been convened to elect three Directors representing the shareholders of the Bank (other than the Central Government).

The shareholders (other than the Central Government) are therefore entitled to send their nominations as per the procedure detailed in various and relevant Act, Regulation Act, Scheme, Regulations, Notification, the relevant portions of which are indicated hereunder. The elected directors will assume office on **24.12.2011** and will hold office for a period of three years from the date of assumption of office.

• LEGAL PROVISIONS

The following table indicates the provisions contained in various Acts / Scheme /Regulations/ Notification governing the matter:

अधिनियम / योजना / विनियमन / अधिसूचना	प्रावधान
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949	धारा 20
बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970	धारा 3 (2ई), धारा 9 (3) (i), धारा 9 (3ए) (ए) से (सी), धारा 9 (3एए), धारा 9 (3एबी), धारा 9 (3बी), धारा 13 (2)
राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970	खंड 9 (4), खंड 10, खंड 11, खंड 11ए, खंड 11बी, खंड 12 (8)
बैंक ऑफ़ बड़ौदा (शेयर एवं बैठक) विनियमन 1998	विनियम 10, 61 से 70
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना क्रमांक डीबीओडी सं. बीसी सं. 46 / 29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 तथा डीबीओडी बीसी सं 95 / 29.39.001 / 2010-11 दिनांक 23.05.2011	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3एए) के अनुसरण में

• **उपरोक्त प्रावधानों का सारांश नीचे दिया गया है :**

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 में अपने किसी निदेशक को अथवा उसके माध्यम से किसी को ऋण अथवा अग्रिम प्रदान करने के बारे में कुछ प्रतिबंध रखे गये हैं :

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3 (2ई) सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के 1 प्रतिशत केंद्रीय सरकार से भिन्न किसी शेयरधारक के मताधिकार को निर्बाधित करती है.

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3) (i) में ऐसे बैंकों में चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या निर्दिष्ट है.

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 धारा 9 (3ए) (ए) से (सी) में ऐसी कुछ पात्रता विनिर्दिष्ट की गई हैं जिसके तहत धारा 9 (3) (i) के अनुसार नामांकित किए जानेवाले निदेशकों को कुछ क्षेत्रों में विशेष ज्ञान रखना आवश्यक है.

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण अधिनियम) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3एए) तथा (3एबी) में यह विनिर्दिष्ट है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति निदेशक के रूप में चुने जाने का पात्र नहीं होगा जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना क्रमांक डीबीओडी.बीसी.क्रमांक 95/29.39.001/2010-11, दिनांक 23 मई 2011 के साथ पठित अधिसूचना संख्या डीबीओडी. बीसी.सं.46 तथा 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 1 नवंबर 2007, के अनुसार स्वस्थ तथा ट्रैक रेकार्ड के आधार पर समुचित प्रतिष्ठावाला एवं सत्यनिष्ठा से युक्त नहीं है.

ACT/SCHEME/REGULATIONS/NOTIFICATION	PROVISIONS
Banking Regulation Act, 1949	Section 20
Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Section 3 (2E), Section 9 (3) (i), Section 9 (3A) (A) to (C), Section 9(3AA),Section 9(3AB), Section 9 (3B) Section 13 (2)
Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970	Clause 9 (4), Clause 10, Clause 11, Clause 11A, Clause 11B, Clause 12 (8)
Bank of Baroda (Shares and Meetings) Regulations 1998	Regulation 10, 61 to 70
Reserve Bank of India Notification No. DBOD. No. BC.No. 46/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and No.DBOD.BC.No. 95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011.	Pursuant to Section 9(3AA) and Section 9(3AB) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970

• **THE GIST OF THE ABOVE MENTIONED PROVISIONS IS DESCRIBED HEREINBELOW:**

Section 20 of Banking Regulation Act, 1949 places certain restrictions for granting any loan or advance to or on behalf of any of its directors.

Section 3 (2E) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 restricts the voting right of a shareholder other than the Central Government to one percent of the total voting rights of all the shareholders.

Section 9 (3) (i) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 prescribes the number of directors to be elected by the shareholders in such banks.

Section 9 (3A) (A) to (C) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 prescribes certain qualifications specifying that the directors to be nominated under Section 9 (3) (i) shall have special knowledge in certain fields.

Section 9 (3AA) and (3AB) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 prescribes that no person shall be eligible to be elected as director unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as Reserve Bank of India notified vide its Notification Nos.DBOD.BC.No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 1st November, 2007 read with No.DBOD. BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011.

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3बी) भारतीय रिज़र्व बैंक के उन अधिकारों से संबद्ध है जिसके आधार पर उपरोक्त अधिनियम की धारा 9 (3) (i) के तहत चुने गए निदेशक, जो उक्त अधिनियम की धारा 9 (3ए) तथा धारा 9 (3एए) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते हैं, को हटाया जा सकता है।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970, की धारा 13 (2) तीसरी अनुसूची में निर्धारित फॉर्म में विश्वस्तता एवं गोपनीयता की घोषणा की बाध्यता से संबंधित है।

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 9 (4) के अनुसार एक निर्वाचित निदेशक 3 वर्ष के लिए पद धारित करेगा एवं फिर से चुने जाने का पात्र होगा तथापि कोई भी निदेशक 6 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए निरंतर पद धारित नहीं करेगा।

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के खंड 10 में निदेशकों की कुछ निरर्हताओं का उल्लेख किया गया है।

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 का खंड 11 निदेशकों द्वारा पद छोड़े जाने से संबंधित है।

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 का खंड 11ए, में अधिनियम की धारा 9 (3) (i) के तहत ऐसी स्थिति का उल्लेख है जिसमें निर्वाचित निदेशक को हटाए जाने एवं उसके स्थान पर दूसरे व्यक्ति को निर्वाचित करके चुने जाने का उल्लेख है।

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 का उपबंध 11 बी आकस्मिक रिक्तियों से संबंधित है।

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 का खंड 12 (8) कुछ ऐसी व्यवस्थाओं के संबंध में हैं, जिसमें निदेशक अभिरुचि रखते हैं, निदेशकों द्वारा अपने हितों के प्रकटीकरण से संबंधित है।

विनियम 10, शेयरों की संयुक्त धारिता के संबंध में मतदान के अधिकार का निर्धारण करता है।

विनियमन के विनियम 61 से 70, निदेशक के रूप में चुने जाने हेतु किसी व्यक्ति के नामित किए जाने की कुछ शर्तों, चुनाव की प्रक्रिया एवं अन्य आकस्मिक मसलों से संबंधित है।

- वेबसाइट में अधिनियम / योजना / विनियमन अधिसूचना का सारांश शेयरधारकों की सुविधा के लिए विनियमन अधिनियम, अधिनियम, योजना के संबद्ध अंशों के साथ ही साथ भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना सं डीबीओडी.बीसी.नं.46 तथा 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 1 नवंबर 2007, तथा डीबीओडी.बीसी.नं.95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23.05.2011 बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.com पर रखे जाएंगे। ये सारांश इच्छुक उम्मीदवारों द्वारा नामांकन फॉर्म

Section 9 (3B) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, deals with the right of Reserve Bank of India to remove a director so elected under Section 9(3) (i) of the aforesaid Act, who does not fulfil the requirements of Section 9 (3A) and Section 9(3AA) of the said Act.

Section 13 (2) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, deals with the obligation as to declaration of Fidelity and Secrecy in the form set out in the Third Schedule.

Clause 9 (4) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 says that an elected director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election. Provided that no such Director shall hold office continuously for a period exceeding six years.

Clause 10 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 specifies certain disqualifications for directors.

Clause 11 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 deals with vacation of office by directors.

Clause 11 A of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 deals with the situation where a director elected under Sec. 9 (3) (i) of the Act may be removed and another person in his stead be elected to fill the vacancy.

Clause 11B of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 deals with casual vacancy.

Clause 12 (8) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 deals with disclosure of interest by directors, in certain arrangements in which they are interested.

Regulation 10 of the Regulations determines the voting rights in the case of joint holding of shares.

Regulations 61 to 70 of the Regulations prescribes certain conditions for nominating a person as a candidate for election as a director, the procedure for conducting an election and deal with other incidental matters.

• **EXTRACTS OF ACTS/SCHEME/REGULATION/NOTIFICATION IN WEBSITE**

For the convenience of the shareholders, the relevant extracts from Regulation Act, the Act, the Scheme as well as RBI Notifications No.DBOD.BC.No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01st November, 2007 and No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 will be hosted in the Bank's website www.bankofbaroda.com. Such extracts will also be e-mailed

प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख अर्थात् 08.12.2011 को अथवा उससे पहले सहायक महाप्रबंधक (एमएल), बैंक ऑफ बड़ौदा, 8 वां तल, सूरज प्लाजा, सयाजीगंज, वड़ोदरा – 390 005 के पास अनुरोध प्रस्तुत करने पर ई मेल द्वारा भी भेजे जा सकते हैं.

• **उम्मीदवार के लिए अपेक्षित योग्यता**

उम्मीदवार को अधिनियम की धारा 9 (3ए) में निर्दिष्ट योग्यता को पूरा करना होगा एवं योजना के खंड 10 में निर्दिष्ट निरर्हता से ग्रस्त नहीं होगा तथा उसे विनियमन के विनियम 65 में उल्लिखित शर्तों, जिनका नीचे उल्लेख किया गया है, को पूरा करना होगा.

- (i) अधिनियम की धारा 9 (3ए) के अनुसार बैंक का शेयरधारक और धारा 9 (3) (i) के तहत बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के इच्छुक प्रत्याशी को
 - (क) निम्नलिखित में से किसी एक अथवा एक से अधिक विषय में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए :
 - i कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था
 - ii बैंकिंग
 - iii सहकारिता
 - iv अर्थशास्त्र
 - v वित्त
 - vi विधि
 - vii लघु उद्योग
 - viii किसी अन्य विषय का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव, जो भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी है.
 - (ख) जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो, अथवा
 - (ग) किसानों, कामगारों एवं शिल्पकारों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो.
 - (i) अधिनियम की धारा 9 (3ए) और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना के अनुसार बैंक का शेयरधारक प्रत्याशी, जो बैंक का निदेशक बनने के लिए नामांकन दर्ज करता है, "उपयुक्त एवं समुचित" हैसियतवाला होना चाहिए.
 - (ii) इसके अतिरिक्त निर्वाचित निदेशक द्वारा प्रतिज्ञा विलेख निष्पादित किया जाना चाहिए तथा इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट किए गए अनुसार वार्षिक घोषणा प्रस्तुत करनी चाहिए.

• **बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने में अयोग्यताएं**

- क) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खण्ड 10 की शर्तों के अनुसार, कोई भी ऐसा व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्त होने और निदेशक होने के लिए अयोग्य होगा.
- क) यदि वह, किसी समय दिवालिया करार कर दिया गया हो या उसने लेनदारों का भुगतान रोके रखा हो या

to the intending candidates on receipt of a request addressed to the Assistant General Manager (AML), Bank of Baroda, 8th floor, Suraj Plaza-1, Sayajiganj, Vadodara – 390 005, on or before the last date fixed for submission of nomination forms viz. **08.12.2011**

• **QUALIFICATIONS FOR A CANDIDATE**

The candidate shall comply with the qualifications prescribed in Section 9 (3A) of the Act and shall not suffer the disqualifications specified in Clause 10 of the Scheme and shall satisfy the conditions mentioned in Regulation 65 of the Regulations, which are detailed herein.

- (i) In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate, being a shareholder of the Bank and who desires to be elected as Director of the Bank under Section 9(3)(i) of the Act shall:
 - (A) have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the following matters namely:
 - i agriculture and rural economy
 - ii banking
 - iii co-operation
 - iv economics
 - v finance
 - vi law
 - vii small scale industry
 - viii any other matter the special knowledge of and practical experience in, which would, in the opinion of the Reserve Bank of India be useful to the Bank,
 - (B) represent the interests of depositors; or
 - (C) represent the interest of farmers, workers and artisans
- (ii) In terms of Section 9(3AA) of the Act and RBI Notification a candidate being a shareholder of the Bank and who files nominations to be a Director of the Bank should possess 'Fit and Proper status'.
- (iii) Further the elected Director should execute a Deed of Covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

• **DISQUALIFICATIONS FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK:**

- (A) In terms of Clause 10 of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being a Director:
 - a) if he has at any time being adjudicated an insolvent or has suspended payment or has

प्रशमन किया हो अथवा

- ख) यदि उसे, विकृत दिमाग का पाया गया हो अथवा उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो अथवा
- ग) यदि उसे, फौजदारी न्यायालय द्वारा नैतिक चरित्र हीनता के अपराध के कारण दण्डित किया गया हो अथवा
- घ) यदि वह, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप धारा (1) के तहत गठित भारतीय स्टेट बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में यथापरिभाषित किसी अनुषंगी बैंक के तहत लाभ का पद धारण करता है / करती है, सिवाय कि वह प्रबंध निदेशक तथा अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) के खण्ड (ई) और (एफ) के तहत बैंक के कर्मचारियों में से नामित निदेशकों सहित पूर्णकालिक निदेशक का पद धारण करता है / करती है।

- ख) यदि वह भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना संख्या डीबीओडी सं.बीसी.सं.95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23.05.2011 के साथ पठित अधिसूचना सं.डीबीओडी. सं. बी.सं.46 तथा 47 / 29.39.001/2007-08 दिनांक 1.11.2007 के अनुसार वह बैंक के निदेशकों की नामांकन समिति द्वारा "उपयुक्त एवं समुचित" व्यक्ति नहीं पाया जाता है।

• उम्मीदवारों को शेयरधारकों की सूची

बैंक के शेयरधारकों की 04.11.2011 तक (कट ऑफ़ तारीख) सूची 01.12.2011 से बिक्री के लिए उपलब्ध होगी। इसे बैंक ऑफ़ बड़ौदा के पक्ष में वड़ोदरा में देय, अनुसूचित बैंक द्वारा जारी 50,000/- रु. (पचास हजार रुपये) के मांग ड्राफ्ट के साथ एक अनुरोध पत्र महाप्रबंधक (परिचालन एवं सेवाएं), बैंक ऑफ़ बड़ौदा, छाता तल, सूरज प्लाजा - I, सयाजीगंज, वड़ोदरा - 340 005 को प्रस्तुत करके प्राप्त किया जा सकता है। इच्छुक उम्मीदवार शेयरधारकों के रजिस्टर की जांच भी कर सकते हैं एवं उसमें से आवश्यक विवरण नोट कर सकते हैं।

• शेयरधारकों के रजिस्टर का निरीक्षण

शेयरधारकों का रजिस्टर, बैंक के प्रधान कार्यालय में सहायक महाप्रबंधक (एएमएल), बैंक ऑफ़ बड़ौदा, 8 वां तल, सूरज प्लाजा - I, सयाजीगंज, वड़ोदरा - 390 005 के पास सभी कार्य दिवसों में सोमवार से शुक्रवार तक दोपहर 3.00 बजे और शाम 5.00 के बीच और शनिवार को सुबह 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक शेयरधारकों के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा ताकि वे शेयरधारकों के रजिस्टर से उद्धृत कर सकें अथवा संबद्ध अंश के प्रत्येक 1000 शब्दों अथवा उसके भाग हेतु 5 रुपये की दर से राशि का पूर्व भुगतान करके बैंक से कम्प्यूटर प्रिंट के लिए अनुरोध कर सकें।

compounded with his creditors; or

- b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
- c) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or
- d) if he holds any office of profit under any nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of whole time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank and

- (B) In terms of Notifications of Reserve Bank of India-DBOD. No. BC. No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01-11-2007 read with No. DBOD. BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23-05-2011, if he is not found to be 'fit and proper' person, by the Nominations Committee of the Directors of the Bank.

• LIST OF SHAREHOLDERS TO CONTESTANTS

A list of shareholders of the Bank as on **04.11.2011 (Cut-off Date)** will be available for sale on and from **01.12.2011** on pre-payment of Rs.50,000/- (Rupees Fifty Thousands only) by a demand draft of a Scheduled Bank in favour of "BANK OF BARODA" payable at Vadodara, along with a request addressed to the General Manager (Operations & Services), Bank of Baroda, 6th floor, Suraj Plaza-1, Sayajiganj, Vadodara - 390 005. The intending candidates may also inspect the Register of Shareholders and take extracts therefrom.

• INSPECTION OF THE REGISTER OF SHAREHOLDERS

The Register of Shareholders will be open for inspection by the shareholders, at the Head Office of the Bank with the Assistant General Manager (AML), Bank of Baroda, 8th floor, Suraj Plaza-1, Sayajiganj, Vadodara - 390 005, on all working days between 3.00 p.m. and 5.00 p.m. on Mondays to Fridays and between 11.00 a.m. and 1.00 p.m. on Saturdays, for the purpose of enabling the contestant to take extracts of any part from the Register of Shareholders or request the Bank for computer-prints of the relevant portions, on pre-payment of an amount to be calculated at the rate of Rs.5/- for every 1000 words or part thereof.

• निर्वाचन में सहभागिता

वे शेयरधारक, जिनके नाम एनएसडीएल/सीडीएसएल/आरटीए द्वारा प्रस्तुत शेयरधारकों / लाभार्थी रजिस्टर में 4.11.2011 (कट-ऑफ तारीख) को मौजूद हैं, केन्द्रीय सरकार से भिन्न शेयरधारकों में से निदेशकों के निर्वाचन में भाग लेने अर्थात् नामांकन, चुनाव लड़ने तथा मतदान करने के पात्र होंगे।

विनियम 68 के अनुसार ऐसे प्रत्येक शेयरधारक के पास, जो कि 4.11.2011 (कट-ऑफ तारीख) को सामान्य बैठक की तारीख से पूर्व, शेयरधारक के रूप में पंजीकृत हैं, हाथ खड़ा करके अथवा मतदान की दशा में मतदान द्वारा अपने द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट होगा।

• नामांकन:

नामांकनों की वैधता

विनियमन के विनियम 65 की शर्तों के अनुसार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक, की अधिसूचना डीबीओडी सं.बीसी.नं.46 तथा 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 1.11.2007 तथा डीबीओडी.बीसी.नं.95/29.39.001/ 2010-11 दिनांक 23.05.2011 तथा विभिन्न अधिनियमों के अन्य लागू प्रावधानों की शर्तों के अनुसार निर्वाचन हेतु किसी प्रत्याशी का नामांकन निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन वैध होगा:

- (क) वह 04.11.2011 (कट-ऑफ तारीख) को बैंक ऑफ़ बड़ौदा के कम से कम 100 (एक सौ) शेयरों का शेयरधारक हो और 23.12.2011 तक और यदि वह चुन लिया जाता है तो उसके बाद भी उसे न्यूनतम 100 शेयरों का शेयरधारक होना चाहिए।
- (ख) वह नामांकन प्राप्त होने की अंतिम तारीख अर्थात् 08.12.2011 को विनियमन अधिनियम, अधिनियम, योजना, विनियमनों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचनाओं के तहत निदेशक होने के लिए अयोग्य नहीं है।
- (ग) उक्त अधिनियम के अंतर्गत निदेशक निर्वाचित करने के लिए नामांकन लिखित रूप में किया गया हो और कम से कम एक सौ पात्र शेयरधारकों अथवा यथाविधि उनके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो, बशर्ते, नामांकन किसी शेयरधारक द्वारा, जो एक कंपनी है और उक्त कंपनी-निदेशकों द्वारा संकल्प के अनुसार किया गया हो, संकल्प पारित करनेवाली बैठक के अध्यक्ष द्वारा संकल्प की एक प्रति, जिसे सत्यप्रति के रूप में अभिप्रमाणित किया गया हो, महाप्रबंधक (परिचालन एवं सेवाएं), बैंक ऑफ़ बड़ौदा, छठातल, सूरज प्लाजा-1, सयाजीगंज, वडोदरा-390005 में जमा की जाएगी और प्रत्येक प्रति को ऐसी कंपनी की ओर से किया गया नामांकन माना जाएगा।
- (घ) शेयरधारकों (न्यूनतम 100) द्वारा किसी न्यायाधीश मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार अथवा उप रजिस्ट्रार अथवा किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के किसी अधिकारी अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के किसी अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित

• PARTICIPATION IN ELECTION

Such of those shareholders whose names appear on the Register of Shareholders / Beneficial owners as furnished by NSDL / CDSL / RTA as on **04. 11.2011** (Cut-off Date), shall be entitled to participate i.e. nominate, contest and vote in election of Directors from amongst Shareholders other than the Central Government.

As per Regulation 68, each shareholder who has been registered as a shareholder as on **04.11.2011 (Cut-off Date)**, prior to the date of a general meeting, shall have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

• NOMINATIONS:

Validity of Nominations

In terms of Regulation 65 of the Regulations and in terms of Notifications of Reserve Bank of India - DBOD.No. BC.No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01-11-2007 and No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23-05-2011 and other applicable provisions of various Acts, nomination of a candidate for election as a Director will be valid provided:

- (a) he is a shareholder holding, as on **04.11.2011(Cut-off Date)**, a minimum of 100 (one hundred) shares in Bank of Baroda and continues to hold a minimum of 100 shares till **23.12.2011** and thereafter if he is elected.
- (b) as on **08.12.2011** being the last date for receipt of nomination, he/she is not disqualified to be a director under the Regulation Act, the Act, the Scheme, the Regulations or RBI Notifications.
- (c) the nomination is in writing signed by at least **100 shareholders** entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a Company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be despatched to the General Manager (Operations & Services), Bank of Baroda, 6th floor, Suraj Plaza-1, Sayajiganj, Vadodara – 390 005 and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company.
- (d) the nominations by the shareholders (Minimum 100) is accompanied by a declaration by the candidate, as per the specimen forms of nomination and declaration furnished in this Notice, duly signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted

नोटिस में दिए गए नामांकन एवं घोषणा के नमूने के अनुसार यह घोषणा शामिल होनी चाहिए कि वह नामांकन को स्वीकार करता है और निर्वाचन में खड़े होने के लिए इच्छुक है और यह कि वह बैंककारी विनियमन अधिनियम अथवा अधिनियम अथवा उक्त योजना अथवा विनियमनों के तहत निदेशक होने के लिए अयोग्य नहीं है।

- (च) नामांकन पत्र और घोषणा पत्र विनियमनों के द्वारा निर्धारित हैं और नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप में दिए गए हैं। संपूर्ण नोटिस, जिसमें यह प्रोफार्मा भी शामिल है, बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.com पर भी उपलब्ध है।

नामांकन फार्म प्रस्तुत करना

निदेशकों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के इच्छुक शेयरधारकों को इस नोटिस के साथ संलग्न प्रारूपों में निम्नलिखित दस्तावेज सीलबंद लिफाफे में हर तरह से पूर्ण संबंधित दस्तावेजों के साथ महाप्रबंधक (परिचालन एवं सेवाएं), बैंक ऑफ़ बड़ौदा, छठा तल, सूरज प्लाजा-1, सयाजीगंज, बड़ौदा-390005 को बैठक की निर्धारित तारीख से कम से पहले 14 कार्य दिवस पूर्व अर्थात् **गुरुवार, 8 दिसम्बर, 2011 को सायं 5.00 बजे तक** या इससे पूर्व प्रस्तुत कर देने चाहिए।

- (क) विधिवत रूप से भरा गया घोषणा पत्र
- (ख) निर्वाचन में भाग लेने हेतु पात्र न्यूनतम 100 शेयरधारकों से नामांकन
- (ग) व्यक्तिगत सूचना, घोषणा पत्र तथा वचनपत्र, जिसके साथ संबंधित दस्तावेज प्रमाणपत्र अर्थात् बायोडाटा, शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण में, अनुभव आदि संलग्न हैं।

नामांकन की जांच तथा निदेशकों का चुनाव

- (क) नामांकन प्राप्त होने के लिए निर्धारित तारीख **शुक्रवार, 09.12.2011** के बाद के प्रथम कार्य दिवस को बैंक द्वारा नामांकनों की जांच की जाएगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया गया तो उसके लिए कारण दर्ज करने के पश्चात् उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
- (ख) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार बोर्ड की नामांकन समिति द्वारा भी नामांकनों की जांच की जाएगी।
- (ग) यदि चुनाव द्वारा भरी जाने वाली तीन रिक्तियों हेतु तीन या उससे कम वैध नामांकन हों तो इस प्रकार नामित प्रत्याशी उसी समय से निर्वाचित समझे जाएंगे और उनके नाम तथा पते निर्वाचित के रूप में प्रकाशित होंगे। तथापि निर्वाचित प्रत्याशी 24.12.2011 को ही पदभार ग्रहण करेंगे।
- (घ) यदि वैध नामांकन की संख्या तीन से अधिक हों तो चुनाव होने की दशा में प्रत्याशियों के नाम समाचार-पत्रों में प्रकाशित किए जाएंगे और चुनाव में सर्वाधिक मत प्राप्त करनेवाले प्रत्याशी

Officer or Officer of Reserve Bank of India or any nationalized Bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election and that he is not disqualified from being a director, either under the Banking Regulation Act or the Act or Scheme or the Regulations.

- (e) the Nomination Forms and the Declaration Form are as prescribed by the Regulations and as per the Proforma annexed to this notice. The entire notice interalia comprising these Proforma is also available on the Bank's Website: www.bankofbaroda.com.

Submission of nomination forms

Shareholders desirous of contesting the election of Directors should submit following documents in the formats annexed to this notice, IN A SEALED ENVELOPE to the General Manager (Operations & Services), Bank of Baroda, 6th floor, Suraj Plaza-1, Sayajiganj, Vadodara – 390 005, together with the connected documents, complete in all respects, on a working day at least -14- days before the date of the meeting, i.e., on or before closing hours of the Bank at **5.00 pm on Thursday the 8th December, 2011.**

- a) Duly filled in Declaration Form;
- b) Nominations from minimum of 100 shareholders entitled to participate in the elections;
- c) Personal Information, Declaration and Undertaking together with the connected documents, testimonials, viz., Bio Data, Certificates of Educational qualification, experience, etc.

SCRUTINY OF NOMINATIONS AND ELECTION OF DIRECTORS

- (a) Nominations shall be scrutinised by the Bank on **Friday 09.12.2011** the first working day following the date fixed for the receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons therefor.
- (b) Nominations shall also be subjected to scrutiny by the Nomination Committee of the Board in terms of the RBI Notification.
- (c) If there are three or less than three valid nominations for the three vacancies to be filled by the election, the candidates so nominated shall be deemed to be elected forthwith and their names and addresses shall be published as so elected. However, the elected candidates shall assume office only on 24.12.2011.
- (d) In the event of an election being held, if the valid nominations are more than three, the names of the candidates shall be published in the news papers.

निर्वाचित होंगे और उनके नाम अध्यक्ष द्वारा बैठक में घोषित किए जाएंगे तथा समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित किया जाएंगे. वे 24.12.2011 को पदभार ग्रहण करेंगे.

- (च) किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में विनियमनों के विनियम 67 के अनुसार उसका निपटान किया जाएगा.

23.12.2011 को चुनाव प्रक्रिया

निदेशकों का निर्वाचन हाथ खड़े करके नहीं होगा अपितु गुप्त मतदान द्वारा निर्वाचन होगा.

अध्यक्ष द्वारा मतदान के बारे में घोषणा करने के तुरंत बाद मतदान पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जो कि अपरान्ह 1.00 बजे तक जारी रहेगी. शेयरधारकों/प्राक्सी धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों को पंजीकरण के समय जारी किए गए **बैलेट पेपर पास** लौटाने के बाद मतदानपत्र इस कार्य हेतु निर्धारित काउन्टर से उनके द्वारा मतदान हेतु जारी किए जाएंगे.

शेयरधारक मतदान पत्र पर अपनी पसंद के तीन प्रत्याशियों के नाम के आगे खड़ा मोहर (X) लगाकर तथा मतदान पत्र को मतदान पेटी में डालकर अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं.

उसके पश्चात वोटो की गिनती होगी तथा अध्यक्ष द्वारा परिणामों की घोषणा की जाएगी.

चुनाव की पूरी प्रक्रिया बैंक द्वारा नियुक्त एक मतदान अधिकारी, जो कि इस प्रयोजन हेतु बैंक द्वारा नियुक्त एवं स्वतंत्र परामर्शदाता होगा, द्वारा संचालित की जाएगी और केन्द्रीय सरकार के द्वारा नामित प्रेक्षक की देखरेख में सम्पन्न होगी.

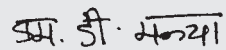
नाम वापस लेना

यदि कोई प्रत्याक्षी अपना नाम वापस लेना चाहता हो तो वह गुरुवार दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 को सांय 5.00 तक या उसे पूर्व किसी भी कार्य दिवस को बैंक कार्य समय के दौरान अपना नाम वापस ले सकता है.

निदेशकों के हित

यदि बैंक के निदेशक, निर्वाचन में खड़े होते हैं तो उपरोक्त कार्य मद में उनकी संबद्धता या हित समझा जाएगा.

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
कृते बैंक ऑफ़ बड़ौदा



(एम.डी.मल्ल्या)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान: मुंबई

दिनांक: 31.10.2011

The candidates polling the majority of votes at the election will be deemed to have been elected and their names will be announced by the Chairman in the meeting and also be published in newspapers. They will assume office on 24.12.2011.

- (e) If there is any dispute the same shall be settled as per Regulation 67 of the Regulations.

Poll Process on 23.12.2011

The voting for election of directors will not be on the basis of show of hands but shall be done by Poll by means of Secret Ballot.

The issue of Ballot Paper will commence immediately after an announcement in this regard is made by the Chairman and continue upto 1.00 p.m.

Ballot Papers shall be issued at the Counters set up for this purpose to the shareholders / proxy holders / authorised representatives on surrender of **Ballot Paper Pass** issued at the time of registration.

Shareholders may exercise their right by affixing a rubber stamp (X) against the names of three candidates of their choice in the Ballot Paper and deposit them in the Ballot Box(es).

The Counting of votes would be taken up thereafter and the Results would be announced by the Chairman.

The entire process of Election would be conducted by a Returning Officer appointed by the Bank, an Independent Consultant appointed for the said purpose by the Bank and would be overseen by the Central Government Nominee who will act as an Observer.

Withdrawal of Candidature

If any candidate desires to withdraw his nomination, he would be entitled to do so at any time prior to closing hours of the Bank i.e. on or before 5.00 pm on Thursday, 22nd December 2011.

INTEREST OF DIRECTORS

Directors of Bank may be deemed to be concerned or interested in the aforementioned item of business in case they contest the election.

By order of the Board of Directors
for **BANK OF BARODA**



(M. D. Mallya)

Chairman & Managing Director

Place: Mumbai.

Date: 31.10.2011

बैंक ऑफ बड़ौदा

प्रधान कार्यालय – मांडवी, बड़ौदा 390 006

घोषणा पत्र

(प्रत्याशी द्वारा)

(विनियमन के विनियम 65 को देखें)

मैं, _____ सुपुत्र / सुपुत्री / श्री/ श्रीमती _____
 _____, निवासी _____

एतद्वारा पुष्टि करता / करती हूँ कि :-

- क) मैं **शुक्रवार 4 नवंबर, 2011** अर्थात् निर्वाचन में भाग लेने की रिकार्ड तारीख को बैंक ऑफ बड़ौदा के 10 रुपये प्रति शेयर वाले _____ इक्विटी शेयरों का शेयरधारक हूँ और
- ख) मुझे* (i) कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था (ii) बैंकिंग (iii) सहकारिता (iv) अर्थशास्त्र (v) वित्त (vi) विधि (vii) लघु उद्योग अथवा _____ (विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव है जो भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी होगा) और मैं अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3ए के अनुसार जमाकर्ताओं / किसानों, कामगारों और दस्तकारों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हूँ / करती हूँ और उसके साक्ष्य के रूप में, मैं इसके साथ संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करता हूँ / करती हूँ और
- ग) मैं नामांकन क्रमांक _____ स्वीकार करता हूँ / करती हूँ और
- घ) मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के निदेशक के निर्वाचन में प्रत्याशी बनना चाहता / चाहती हूँ.
- च) मुझे, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन तथा विविध प्रावधान) योजना, 1970, बैंक ऑफ बड़ौदा सामान्य (शेयर एवं बँटक) विनियमन, 1998 और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना डीबीओडी सं. बीसी. सं 46 तथा 47 / 29.39.001/2007-08 दिनांक 1.11.2007 तथा संख्या डीबीओडी.बीसी.सं.95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23.05.2011 के प्रावधानों के अधीन बैंक के निदेशक होने के लिए अयोग्य नहीं हूँ.
- छ) मैं न कोई लाभ का पद धारण करता हूँ / करती हूँ अथवा न ही मैं किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत गठित भारतीय स्टेट बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में यथा परिभाषित किसी अनुषंगी बैंक का कर्मचारी हूँ.
- ज) मैं अपना व्यक्तिगत विवरण संलग्न कर रहा हूँ जो कि मेरी अधिकतम जानकारी में और विश्वास के अनुसार सही एवं पूर्ण हैं, और
- झ) मैं वचन देता हूँ कि मैं किसी भी ऐसी घटना, जो कि इस घोषणा के पश्चात घटित होगी, दी गई सूचना से संबंधित हो और बैंक में निदेशक के रूप में मेरे चुनाव संबंधी प्रतिज्ञा विलेख को निष्पादित करने के बारे में हो, के बारे में बैंक को पूर्ण रूप से अवगत कराऊंगा:

नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो / डी.पी.आई.डी. एवं ग्राहक आई.डी.	
स्थान:	
तारीख :	

उपर्युक्त घोषणा पत्र मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किया गया है.

मोहर के साथ हस्ताक्षर _____

प्रमाणित करनेवाले अधिकारी का नाम _____

न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या एश्वोरेंसस के उप रजिस्ट्रार या राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिज़र्व बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर.

* जो लागू नहीं हैं उसे काट दें.

Bank of Baroda

Head Office: Mandvi, Baroda – 390 006

DECLARATION

(BY THE CANDIDATE)

(Refer Regulation 65 of the Regulations)

I, Shri/Smt _____ son/daughter of Shri/Smt. _____,

residing at _____

hereby confirm that

- a) I am a shareholder holding _____ equity shares of Rs.10/- each of the Bank as on **Friday, 04.11.2011, the Cut-off** Date for participating in the Elections and
- b) I have special knowledge or practical experience in* i) Agriculture and Rural Economy ii) Banking, iii) Co-operation, iv) Economics, v) Finance, vi) Law, vii) Small Scale Industry or _____ (special knowledge of and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India, would be useful to the bank) and I represent the interest of Depositors / Farmers, Workers and Artisans, in terms of subsection 3A of Section 9 of the Act and as evidence thereof I submit herewith the relevant testimonials, and .
- c) I accept the nominations numbering _____, and
- d) I am willing to contest the election for Director of Bank of Baroda, and
- e) I am not disqualified from being a Director of the Bank under the provisions of The Banking Regulations Act 1949, The Banking Companies (Acquisition And Transfer of Undertakings) Act 1970, Nationalised Banks (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme 1970, Bank of Baroda General (Shares & Meetings) Regulations 1998 and RBI Notification - DBOD.No. BC.No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01-11-2007 and No.DBOD.BC.No. 95/29.39.001/2010-11 dated 23-05-2011. and
- f) I neither hold any office of profit nor I am an employee of any nationalised Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any subsidiary bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 and
- g) I enclose my personal details which are to the best of my knowledge and belief true and complete and
- h) I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank.

Name	
Signature	
Number of Shares	
Regd Folio / DP ID & Client ID	
Place	
Date	

The above declaration was signed before me

Signature with Seal and _____

Name of the attesting official _____

The declaration must be signed by the nominee before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances, or other Gazetted Officer or an Officer of Reserve Bank of India or any Nationalised Bank.

* Tick whichever is applicable.

बैंक ऑफ बड़ौदा

प्रधान कार्यालय — मांडवी, बड़ौदा 390 006

नामांकन फार्म

(शेयर धारक द्वारा)

(विनियमन का विनियम 65 (डी) देखें)

क्रमांक:

प्रति,
 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
 बैंक ऑफ बड़ौदा
 प्रधान कार्यालय
 सूरज प्लाजा-1, सयाजीगंज
 वडोदरा — 390 005

प्रिय महोदय,

निदेशक के चुनाव के लिए नामांकन

आपके दिनांक _____ के नोटिस के संदर्भ में, मैं श्री / श्रीमती _____
 _____ बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयरधारक, **शुक्रवार 04.11.2011** (निर्वाचन में भाग लेने की रिकार्ड तारीख को) प्रत्येक रु.10/- के
 इक्विटी शेयरों का धारक, **एतद्वारा** श्री / श्रीमती _____ सुपुत्र
 / सुपुत्री _____ निवासी _____
 _____ को शुक्रवार दिनांक 23 दिसम्बर, 2011 को होनेवाली बैंक के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक में, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (1) में किये गये प्रावधान के अनुसार बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के निदेशक के रूप में चुने जाने हेतु नामित करता हूँ / करती हूँ.

नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो / डी.पी.आई.डी. एवं ग्राहक आई.डी.	
स्थान:	
तारीख :	

टिप्पणी :

- यदि नामांकन किसी कार्पोरेट निकाय शेयरधारक द्वारा किया गया हो, तो नामांकन फार्म के साथ निदेशक मंडल द्वारा पारित संकल्प की अधिप्रमाणित प्रति संलग्न की जानी चाहिए और उस पर, जिस बैठक में इसे पारित किया गया हो, उसके अध्यक्ष के हस्ताक्षर होने चाहिए.
- प्रत्याशी का नामांकन करने वाले शेयरधारकों के हस्ताक्षर, बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षर से मिलने चाहिए.

Bank of Baroda

Head Office: Mandvi, Baroda – 390 006

NOMINATION FORM

(BY THE SHAREHOLDER)

(Refer Regulation 65 (d) of the Regulations)

Sr. No.

To
The Chairman & Managing Director
BANK OF BARODA
Head Office:
Suraj Plaza -1, Sayaji Ganj
Vadodara – 390 005

Dear Sir,

Nomination for election of a Director

With reference to your Notice dated _____, I, Shri/Smt. _____
a shareholder of Bank of Baroda, holding _____ equity
shares of Rs. 10 each on **Friday, 04.11.2011** (being the Cut-off Date considered for participating in the Election) do hereby
nominate Shri / Smt. _____ son / daughter of Shri / Smt.
_____ residing at _____

for being elected as a Director of Bank of Baroda representing the shareholders of the Bank as provided in Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, at the Extraordinary General Meeting of the shareholders of the Bank to be held on Friday, 23rd December, 2011.

Name	
Signature	
Number of Shares	
Regd Folio / DP ID & Client ID	
Place	
Date	

Notes :

1. In case nomination is made by a shareholder who is a Body Corporate, the nomination form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed at the meeting of the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.
2. Signatures of the shareholders nominating the candidature should match with the specimen signatures available with Share Transfer Agent of the Bank.

बैंक ऑफ बड़ौदा

प्रधान कार्यालय – मांडवी, बड़ौदा 390 006

प्रत्याशी द्वारा व्यक्तिगत सूचना, घोषणा एवं वचनपत्र

बैंक का नाम- बैंक ऑफ बड़ौदा

पासपोर्ट आकार
की स्वयं
प्रमाणित फोटो
लगायें

दिनांक _____ को अनुलग्नकों के साथ प्रत्याशी की घोषणा एवं वचनपत्र

I		प्रत्याशी का व्यक्तिगत विवरण	
	क	पूरा नाम, पिता का नाम	
	ख	जन्म तारीख	
	ग	शैक्षणिक योग्यताएं	
		योग्यता (शैक्षणिक / अकादमिक) (कृपया सूचना की पुष्टि में प्रमाणपत्रों की स्वयं प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें).	
		योग्यता (व्यावसायिक) (कृपया सूचना की पुष्टि में प्रमाणपत्रों की स्वयं प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें).	
	घ	संबंधित पृष्ठभूमि एवं अनुभव (बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3-ए) में यथापेक्षित) (कृपया बैंक के निदेशक पद से संबद्ध अपने अनुभव का उल्लेख करें) बैंक के निदेशक पद से संबंधित अन्य कोई सूचना.	
	ड.	स्थायी पता	
	च	वर्तमान पता	
	छ	ई-मेल पता	
		टेलीफोन नं. (लैंडलाइन)	
		टेलीफोन नं. (मोबाइल)	
	ज	आयकर अधिनियम के अंतर्गत	
		स्थायी खाता संख्या और आयकर सर्कल का नाम और पता	
	झ	संबद्ध ज्ञान तथा अनुभव बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 (3-ए) का संदर्भ ग्रहण करें.	
ञ	बैंक के निदेशक मंडल से संबंधित कोई अन्य सूचना		
II		प्रत्याशी की रिश्तेदारी	
	क	संबंधियों की सूची यदि कोई हो, जो बैंक से जुड़े हों (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 और अनुसूची 1ए को देखें)	
	ख	प्रतिष्ठानों की सूची, यदि कोई हो, जिनमें उसका हित निहित रहा हो (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 299 (3) (ए) और धारा 300 को देखें)	
	ग	प्रतिष्ठानों की सूची, यदि कोई हो, जिनमें उन्हें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 (एनई) के तहत पर्याप्त हित रखने वाले के रूप में माना गया हो. प्रस्तावित और वर्तमान.	
	घ	बैंक का नाम, जिस में वह बैंक के निदेशक मंडल का सदस्य है अथवा रहा थी / था (पदावधि का विवरण दें)	
	ड.	निधि और गैर-निधि आधारित सुविधाएं, यदि कोई हो, जिनका उसने और /अथवा उपरोक्त 11 (ख) और (ग) में सूचीबद्ध इकाइयों ने वर्तमान में बैंक से उपयोग किया हो.	
	च	ऐसे मामले, यदि कोई हो, जहां उम्मीदवार अथवा उपरोक्त II (ख) और (ग) में उल्लिखित इकाइयों ने बैंक अथवा किसी अन्य बैंक से ऋण सुविधाओं को चुकाने में चूक की हो अथवा पूर्व में चूक की गई हो.	
III		व्यावसायिक उपलब्धियों का रिकार्ड	
	क	संबंधित व्यावसायिक उपलब्धियां	

Bank of Baroda

Head Office: Mandvi, Baroda – 390 006

Personal Information, Declaration and Undertaking

Name of Bank: Bank of Baroda

Affix self
attested
Passport
size
Photo here

Declaration and Undertaking by the Candidate with enclosures as appropriate as on ____2011

I.	Personal details of the candidate	
a.	Full Name (in block capital letter) Father's Name (in Full)	
b.	Date of Birth	
c.	Educational Qualification	
	Qualifications (Educational/academic) (Please attach self attested copies of the certificates supporting the information).	
	Qualifications (Professional) (Please attach self attested copies of the certificates supporting the information).	
d.	Relevant Background and Experience (As required under Section 9(3-A) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970) (Please indicate your experience relevant to the directorship of the Bank). Any other information relevant to Directorship of the Bank.	
e.	Permanent Address	
f.	Present Address	
g.	E-Mail Address	
	Telephone Number (Landline)	
	Telephone Number (Mobile)	
h.	(1) Permanent Account Number (under the Income Tax Act).	
	(2) Name and address of Income Tax Circle/Division where personal tax returns are being filed.	
i.	Relevant knowledge and experience (Refer Section 9(3-A) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 / 1980)	
j.	Any other information relevant to Directorship of the Bank	
II	Relevant Relationships of Candidate	
a.	List of Relatives if any who are connected with the Bank (Refer Section 6 and Schedule 1A of the Companies Act, 1956)	
b.	List of entities if any in which he / she is considered as being interested (Refer Section 299(3)(a) and Section 300 of the Companies Act, 1956)	
c.	List of entities in which he / she is considered as holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne) of the Banking Regulation Act, 1949 proposed and existing	
d.	Name of Bank in which he / she is or has been a member of the board (giving details of period during which such office was held)	
e.	Fund and non-fund facilities, if any, presently availed of by him / her and / or by entities listed in II (b) and (c) above from the bank	
f.	Cases, if any, where the candidate or entities listed in II (b) and (c) above are in default or have been in default in the past in respect of credit facilities obtained from the bank or any other bank.	
III	Records of professional achievements	
a.	Professional achievements relevant	

बैंक ऑफ बड़ौदा

प्रधान कार्यालय — मांडवी, बड़ौदा 390 006

प्रत्याशी द्वारा व्यक्तिगत सूचना, घोषणा एवं वचनपत्र

बैंक का नाम- बैंक ऑफ बड़ौदा

IV		उम्मीदवार के विरुद्ध कार्रवाईयां, यदि कोई हों	
	क	यदि उम्मीदवार किसी व्यावसायिक संस्था /निकाय का सदस्य है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का विवरण यदि कोई विचाराधीन हो अथवा शुरु की गई हो अथवा उसके विरुद्ध पहले दोषसिद्धि के फलस्वरूप हो और अथवा क्या वह किसी समय किसी व्यवसाय/धंधे को शुरु करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है.	
	ख	पूर्व में उम्मीदवार और /अथवा उपरोक्त II (ख) और (ग) में सूचीबद्ध किसी इकाई के विरुद्ध आर्थिक कानून और विनियमों का उल्लंघन करने के लिए दोषसिद्धि के फलस्वरूप लंबित अथवा शुरु किए गई अभियोजना का विवरण, यदि कोई हो.	
	ग	उम्मीदवार के विरुद्ध पूर्व में लंबित अथवा शुरु किए गए अथवा दोषसिद्धि के फलस्वरूप आपराधिक अभियोजन का विवरण, यदि कोई हो.	
	घ	क्या उम्मीदवार को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 के अंतर्गत किसी भी प्रकार की अयोग्यताओं के कारण अयोग्य ठहराया गया है ?	
	ड.	क्या उम्मीदवार अथवा II (ख) और (ग) में उल्लिखित किसी इकाई को सरकारी विभाग अथवा एजेंसी द्वारा किसी अन्वेषण के अध्यधीन रखा गया है?	
	च	क्या उम्मीदवार को कभी कस्टम /एक्साइज/ आयकर/विदेशी विनियम/अन्य राजस्व प्राधिकारियों द्वारा नियमों/विनियमों/विधायी अपेक्षाओं के उल्लंघन के लिए दोषी पाया गया है ?	
	छ	क्या उम्मीदवार कभी सेबी, आईआरडीए, डीसीए, भारतीय रिजर्व बैंक, एमसीए जैसे विनियामकों के समक्ष प्रतिकूल नोटिस में आया है? (हालांकि उम्मीदवार द्वारा विनियामकों के ऐसे आदेशों तथा निष्कर्षों के बारे में कॉलम में उल्लेख करना संभव नहीं होगा जो बाद में समग्र निरस्त / प्रत्यावर्तित कर दिये गये, तथापि ऐसे मामलों का उल्लेख करना अनिवार्य होगा जो न्यायाधिकारिता की सीमितता अथवा अभाव जैसे तकनीकी कारणों और मेरिट पर न होने के कारण प्रत्यावर्तित / निरस्त किये गये हों. यदि विनियामक का आदेश अस्थायी रूप से रोक दिया गया हो और अपील / न्यायिक प्रक्रिया लंबित हो तो उसका उल्लेख किया जाना चाहिए).	
V		मद क्र I से III के संबंध में अन्य कोई स्पष्टीकरण/सूचना और ठीक और उचित पाए जाने के लिए विचारणीय अन्य कोई सूचना.	
		वचनपत्र मैं श्री/श्रीमती _____ सुपुत्र / सुपुत्री _____ पुष्टि करता हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास में सही और पूर्ण है. मैं बैंक की ऐसी सभी घटनाओं जो कि मेरी नियुक्ति के पश्चात उपलब्ध करवाई गई उपरोक्त सूचनाओं के फलस्वरूप होगी, की जानकारी यथासंभव शीघ्र ही उपलब्ध करवाता रहूंगा. मैं यह भी वचन देता हूँ कि बैंक के सभी निदेशकों द्वारा निष्पादित किए जानेवाले वचन विलेख को निष्पादित करूंगा.	
स्थान : दिनांक:		उम्मीदवार के हस्ताक्षर	
अनुलग्नक : नोट : 1. जहां पर्याप्त जगह न हो, वहां क्रमानुसार अनुलग्नक में समुचित संदर्भ के साथ सूचना 2. सभी पृष्ठों (अनुलग्नकों सहित) पर प्रत्याशी के हस्ताक्षर होने चाहिए.			
नामांकन समिति की टिप्पणी			

सदस्य के हस्ताक्षर	सदस्य के हस्ताक्षर	सदस्य के हस्ताक्षर	सदस्य के हस्ताक्षर

स्थान :

दिनांक:

Bank of Baroda

Head Office: Mandvi, Baroda – 390 006

Personal Information, Declaration and Undertaking

Name of Bank: Bank of Baroda

IV	Proceedings, if any, against the candidate	
	a. If the candidate is a member of a professional association / body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against him / her or whether he / she has been banned from entry of at any profession / occupation at any time.	
	b. Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the candidate and / or against any of the entities listed in II (b) and (c) above for violation of economic laws and regulations	
	c. Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the candidate.	
	d. Whether the candidate attracts any of the disqualifications envisaged under Section 274 of the Company's Act 1956?	
	e. Has the candidate or any of the entities at II (b) and (c) above been subject to any investigation at the instance of Government department or agency?	
	f. Has the candidate at any time been found guilty of violation of rules / regulations / legislative requirements by customs / excise / income tax / foreign exchange / other revenue authorities, if so give particulars	
	g. Whether the candidate at any time come to the adverse notice of a regulator such as SEBI, IRDA, DCA, RBI, MCA, etc, (Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings made by regulators which have been later on reversed / set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal / setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, etc. and not on merit. If the order of the regulator is temporarily stayed and the appellate / court proceedings are pending, the same also should be mentioned).	
V.	Any other explanation / information in regard to items I to III and other information considered relevant for judging fit and proper	
	Undertaking I, Shri/Smt. _____ Son / Daughter of Shri _____ confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief true and complete. I undertake to keep the bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place subsequent to my appointment which are relevant to the information provided above. I also undertake to execute the deed of Covenant required to be executed by all the Directors of the Bank.	
	Place : _____	
	Date : _____	Signature of the Candidate
	Enclosures :	
	Note: 1. Wherever space is not sufficient, please attach the information as annexure in chronological order and with appropriate cross reference. 2. All pages (including annexures) are required to be signed by the candidate.	
	Remarks of the Nomination Committee:	

Signature of Member	Signature of Member	Signature of Member	Signature of Member

Date :

Place:

प्रधान कार्यालय – मांडवी, बडौदा 390 006

असाधारण सामान्य बैठक

दिनांक: शुक्रवार , 23 दिसंबर 2011 सुबह 10 बजे

सर सयाजीराव नगर गृह, वडोदरा महानगर सेवा सदन, बैंक ऑफ बड़ौदा शताब्दी वर्ष (2007-2008), टी.पी.-1, एफ.पी. 549/1, जीईबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा — 390020

(प्रवेश के समय संपूर्ण करनी है)

नाम (बड़े अक्षरों में) (सदस्य/ प्रोक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि)	फोलियो नंबर डी. पी.आई.डी.नं:	शेयरों की संख्या ग्राहक आई.डी.नं:
उपस्थित शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर		

प्रधान कार्यालय — मांडवी, बडौदा 390 006

(बैठक के दौरान अपने पास रखें)

असाधारण सामान्य बैठक

दिनांक: शुक्रवार , 23 दिसंबर 2011 सुबह 10 बजे

नाम (बड़े अक्षरों में) (सदस्य/ प्रोक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि)	फोलियो नंबर डी. पी.आई.डी.नं:	शेयरों की संख्या ग्राहक आई.डी.नं:
उपस्थित शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर		

शेयरधारकों / प्रॉक्सि अथवा शेयरधारकों के प्राधिकृत प्रतिनिधि से अनुरोध है कि वे बैठक में प्रवेश प्राप्त करने के लिए बैंक में पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर जैसी यथाविधि हस्ताक्षरित उक्त उपस्थिति-पर्ची और प्रवेश पत्र एक साथ प्रस्तुत करें। तथापि, प्रवेश सत्यापन / जांच, जैसा आवश्यक समझा जाएगा, की शर्त के अधीन होगा। किसी भी परिस्थिति में, बैठक के प्रवेशद्वार पर कोई इम्प्लीकेट उपस्थिति पर्ची जारी नहीं की जाएगी।

प्रधान कार्यालय - मांडवी, बडौदा 390 006

(बिलेट पेपर प्राप्त करने के लिए मतदान काउंटर पर इसे दिया जाए)

असाधारण सामान्य बैठक

दिनांक: शुक्रवार , 23 दिसंबर 2011 सुबह 10 बजे

नाम (बड़े अक्षरों में) (सदस्य/ प्रोक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि)	फोलियो नंबर डी. पी.आई.डी.नं:	शेयरों की संख्या ग्राहक आई.डी.नं:
उपस्थित शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर		

Bank of Baroda

Head Office: Mandvi, Baroda – 390 006

ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS-CUM-BALLOT PAPER PASS EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Date: Friday, the 23rd December 2011, 10.00 a.m.

At Sir Sayaji Rao Nagargriha, Vadodra Mahanagar Seva Sadan, Bank of Baroda Centenary Year (2007-2008), T. P. – 1, F. P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Vadodara – 390 020

ATTENDANCE SLIP

(To be surrendered at the time of entry)

NAME IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy/AR)	FOLIO N0: /DPID No: CLIENT ID NO.	No. of Shares
Signature of Shareholder/ Proxy/ Authorised Representative		

Bank of Baroda

Head Office: Mandvi, Baroda – 390 006

ENTRY PASS

(To be retained throughout the meeting)

EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Date: Friday, the 23rd December 2011, 10.00 a.m.

NAME IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy/AR)	FOLIO N0: /DPID No: CLIENT ID NO.	No. of Shares
Signature of Shareholder/ Proxy/ Authorised Representative		

Shareholders/Proxy holders/Representatives are requested to produce this Attendance-slip-cum-Entry pass-cum-Ballot Paper Pass duly signed, for admission to the meeting hall. The Entry pass-Ballot Paper Pass portion will be handed back to the shareholders/Proxy holders/Representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. The Ballot Paper Pass portion shall be surrendered to obtain Ballot Paper. Under no circumstances, will any duplicate Attendance slip-cum-Entry pass-cum Ballot Paper Pass be issued.

Bank of Baroda

Head Office: Mandvi, Baroda – 390 006

BALLOT PAPER PASS

(to be surrendered at the Polling Counters to get Ballot Paper)

EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Date: Friday, the 23rd December 2011, 10.00 a.m.

NAME IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy/AR)	FOLIO N0: /DPID No: CLIENT ID NO.	No. of Shares
Signature of Shareholder/ Proxy/ Authorised Representative		

बैंक ऑफ बड़ौदा

प्रधान कार्यालय – मांडवी, बड़ौदा 390 006

फॉर्म बी

प्रॉक्सी फॉर्म

(शेयरधारक द्वारा भरा एवं हस्ताक्षरित किया जाए)

पंजीकृत फोलियो नंबर (यदि अभौतिक रूप में न हो)	
डीपीआईडी नं.	
ग्राहक आई.डी.नं (यदि अभौतिक रूप में हो)	
शेयरों की संख्या	

मैं/हम _____ निवासी _____
 _____ जिला _____ राज्य _____

बैंक ऑफ बड़ौदा का / के शेयरधारक होने के नाते एतद्वारा श्री/श्रीमती _____
 निवासी _____ जिला _____ राज्य _____

को शुक्रवार, 23 दिसंबर 2011 को सुबह 10:00 बजे सर सयाजीराव नगर गृह, वडोदरा महानगर सेवा सदन, बैंक ऑफ बड़ौदा शताब्दी वर्ष (2007-2008), टी.पी.-1, एफ.पी. 549/1, जीईबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा - 390020 में या इसकी किसी स्थगित तारीख को बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयरधारकों की होनेवाली असाधारण सामान्य बैठक में मेरी / हमारी ओर से बैठक लेने और वोट देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करता हूं / करती हूं / करते हैं.

दिनांक _____ माह _____ 2011 को हस्ताक्षरित

रसीदी
टिकट

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर _____

नाम : _____

पता : _____

प्रथम शेयरधारक / एकमात्र शेयरधारक के हस्ताक्षर

प्रॉक्सी फॉर्म पर हस्ताक्षर करने और इसे जमा करने संबंधी अनुदेश

- प्रॉक्सी का कोई लिखत तब तक वैध नहीं माना जाएगा जब तक कि,
 - यह एकल शेयरधारक व्यक्ति के मामले में, शेयरधारक द्वारा या उसके द्वारा लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा न हो.
 - संयुक्त धारकों के मामले में, यह रजिस्टर में दर्ज प्रथम शेयरधारक द्वारा या उसके द्वारा लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.
 - निकाय कार्पोरेट के मामले में, लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत इसके अधिकारी अथवा अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित तथा मुहर न लगी हुई हो और वह फॉर्म बी में सम्यक रूप से स्टांपित न हो.
- प्रॉक्सी का लिखत, जिस पर शेयरधारक के अंगूठे का निशान लगा हुआ है तभी वैध माना जाएगा जब वह किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेन्स या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या बैंक ऑफ बड़ौदा के किसी अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो.
- प्रॉक्सी के साथ -
 - मुख्तारनामा अथवा अन्य प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके तहत हस्ताक्षर किए गए हैं अथवा
 - मुख्तारनामा अथवा प्राधिकार की प्रति जो कि किसी नोटरी पब्लिक अथवा मजिस्ट्रेट

- द्वारा प्रमाणित की गई बैंक के प्रधान कार्यालय में सहायक महाप्रबंधक (एमएल), बैंक ऑफ बड़ौदा, 8 वां तल, सूरज प्लाजा-1, सयाजीगंज, वडोदरा - 390 005 के पास असाधारण सामान्य बैठक की तारीख से चार दिन पहले अर्थात् शनिवार 17 दिसंबर 2011 को कार्यसमाप्ति से पूर्व दोपहर दो बजे से पहले जमा किया जाना चाहिए.
- यदि संबद्ध मुख्तारनामा बैंक ऑफ बड़ौदा के पास अथवा उसके शेयर अंतरण एजेंट के पास पहले से पंजीकृत है तो मुख्तारनामा का पंजीकरण क्रमांक तथा इस प्रकार के पंजीकरण की तारीख का उल्लेख किया जाना चाहिए.
- बैंक के पास जमा की गई प्रॉक्सी की लिखत अपरिवर्तनीय और अंतिम होगी.
- विकल्प के तौर पर दो गारंटियों के पक्ष में दी गई प्रॉक्सी-लिखत के मामले में, एक से अधिक फॉर्म निष्पादित नहीं किया जाएगा.
- प्रॉक्सी-लिखत निष्पादित करनेवाला शेयरधारक असाधारण सामान्य बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान का हकदार नहीं होगा.
- किसी भी व्यक्ति को, जो बैंक का अधिकारी अथवा कर्मचारी है, ऐसा विधिवत् प्रतिनिधि अथवा प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जाएगा,
- प्रॉक्सी फॉर्म में किए गए सभी फेरबदल पर विधिवत रूप से अधिप्रमाणन किया जाना चाहिए.

Bank of Baroda

Head Office: Mandvi, Baroda – 390 006

FORM 'B'

FORM OF PROXY

(To be filled in and signed by the shareholder)

Regd. Folio No. (If not Dematerialised)	
DPID No. Client ID No. (If Dematerialised)	
No of shares.	

I/We, _____ Resident of _____
in the district of _____ in the State of _____
being a shareholder/s of BANK OF BARODA, hereby appoint Shri/Smt. _____ resident of _____
in the district of _____ in the State of _____
or failing him/her, Shri/Smt. _____ resident of _____ in the district of _____
in the State of _____ as my/our proxy to vote for me/us and on my/
our behalf at the Extraordinary General Meeting of the shareholders of the Bank to be held on **Friday, 23rd December 2011, at 10.00 a.m., at Sir Sayaji Rao Nagargriha, Vadodra Mahanagar Seva Sadan, Bank of Baroda Centenary Year (2007-2008), T. P. – 1, F. P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Vadodara – 390 020 and at any adjournment thereof.**

Signed this _____ day of _____ 2011.

Signature of the Proxy _____

Name : _____

Address : _____

Revenue
stamp

Signature of first /sole holder

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND DEPOSITING THE PROXY FORM

1. The instrument of proxy to be valid,
 - a. in case of an individual shareholder, shall be signed by him/her or by his/her attorney duly authorised in writing ,
 - b. in the case of joint holders, shall be signed by the shareholder first named in the Register of Shareholders or by his/her attorney duly authorised in writing,
 - c. in the case of a body corporate, shall be signed by its officer and executed under its Common Seal, if any, or otherwise signed by its attorney duly authorised in writing.
 - d. shall be in the Form B and duly stamped.
2. An instrument of proxy, in which the thumb impression of the shareholder is affixed, will be valid provided it is attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or any other Government Gazetted Officer or an officer of Bank of Baroda.
3. The proxy together with
 - a. the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or
 - b. a copy of that power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office with Assistant General Manager (AML), Bank of

Baroda, 8th floor, Suraj Plaza-1, Sayajiganj, Vadodara – 390 005, not later than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting, i.e. on or before **closing hours i.e. 2.00 p.m. of Saturday, the 17th December, 2011.**

4. In case the relevant power of attorney is already registered with Bank of Baroda or its Share Transfer Agent, the registration number of the power of attorney and the date of such registration may be mentioned.
5. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
6. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
7. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.
8. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of BANK OF BARODA.
9. All alteration in the Proxy Form should be duly initialled by executant.

निदेशकों का चुनाव – संबद्ध अधिनियमों, विनियमनों आदि का सारांश

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (i) की शर्तों के अनुसार, धारा 3 की उपधारा (2-बी) के खंड (सी) के तहत जारी पूंजी की सीमा के आधार पर शेयरधारक निदेशकों की नियुक्ति की जाएगी। एतदसंबंधी बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना तथा बैंक ऑफ बड़ौदा सामान्य (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998 के संबद्ध खंडों को शेयरधारकों की सूचना के लिए क्रमशः निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है :

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 का सारांश

धारा 5 (एनई) 'पर्याप्त हित'

- (i) किसी कंपनी के संबंध में इसका आशय किसी व्यक्ति अथवा उसकी पत्नी या पति अथवा अवयस्क बच्चे, चाहे वह शेयरों का एकल अथवा उनके साथ धारक हो, पांच लाख रुपये से अधिक की चुकता राशि अथवा कंपनी की चुकता पूंजी का दस प्रतिशत, इन में से जो भी कम हो का लाभार्थी हित होगा।
- (ii) किसी फर्म के संबंध में इसका आशय होगा किसी व्यक्ति अथवा उसकी पत्नी या पति अथवा अवयस्क बच्चे चाहे वह एकल अथवा उनके साथ हों, उक्त फर्म में सभी भागीदारों द्वारा अभिदत्त कुल पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक हो, उसमें लाभार्थी हित से होगा।

धारा 20 : ऋण एवं अग्रिम के संबंध में प्रतिबंध :

1. कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 77 में समाहित किसी बात के विपरीत होते हुए भी, कोई भी बैंकिंग कंपनी निम्न कार्य नहीं करेगी,
 - क) अपने स्वयं के शेयरों की प्रतिभूति पर कोई ऋण अथवा अग्रिम स्वीकृत नहीं करेगी ; अथवा
 - ख) निम्न को अथवा उनकी ओर से कोई ऋण या अग्रिम स्वीकृत करने या अग्रिम देने के लिए कोई प्रतिबद्धता नहीं करेगी :
 - (i) अपने किसी निदेशक को,
 - (ii) ऐसी कोई फर्म जिसमें इसका कोई निदेशक उस फर्म में साझेदार, प्रबंधक, कर्मचारी अथवा गारंटीकर्ता के रूप में इच्छुक है, अथवा
 - (iii) ऐसी कोई कंपनी जो बैंकिंग कंपनी की अनुषंगी नहीं है अथवा ऐसी कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के तहत पंजीकृत अथवा एक ऐसी सरकारी कंपनी जिसकी (अथवा अनुषंगी अथवा होलिंग कंपनी जिसकी) बैंकिंग कंपनी का कोई निदेशक, प्रबंधक कर्मचारी अथवा गारंटीदाता है अथवा जिसमें उसकी भरपूर रुचि है, अथवा
 - (iv) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके संबंध में इसके निदेशकों में से कोई निदेशक इसका साझेदार अथवा गारंटीदाता है।

ELECTION OF DIRECTORS -

EXTRACTS OF RELEVANT ACTS, REGULATIONS ETC

In terms of Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, shareholder directors shall have to be appointed depending upon the extent of capital issued under clause (c) of sub-section (2B) of Section 3. The relevant sections of The Banking Regulation Act, 1949, The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, the relevant clauses of Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions Scheme), 1970, as amended, and the relevant regulations of the Bank of Baroda (Shares and Meetings) Regulations, 1998, respectively in this regard, are reproduced below for information of the shareholders.

EXTRACT OF THE BANKING REGULATION ACT, 1949

Section 5 (ne) "Substantial Interest":

- (i) In relation to a company, means the holding of a beneficial interest by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together in the shares thereof, the amount paid up on which exceeds five lakhs of rupees or ten percent of the paid-up capital of the company, whichever is less
- (ii) In relation to a firm, means the beneficial interest held therein by the individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together, which represents more than ten percent of the total capital subscribed by all the partners of the said firm.

Section 20: Restriction on Loans and Advances:

1. Notwithstanding anything to the contrary contained in Section 77 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), No banking company shall,-
 - a) grant any loans or advances on the security of its own shares, or
 - b) enter into any commitment for granting any loan or advance to or on behalf of -
 - i) any of its directors,
 - ii) any firm in which any of its directors is interested as partner, manager, employee or guarantor, or
 - iii) any company not being a subsidiary of the banking company or a company registered under Section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or a Government Company of which or the subsidiary or the holding company of which any of the directors of the banking company is a director, managing agent, manager, employee or guarantor or in which he holds substantial interest, or
 - iv) any individual in respect of whom any of its directors is a partner or guarantor.

2. जहां बैंकिंग कंपनी द्वारा स्वीकृत कोई ऋण अथवा अग्रिम इस प्रकार का है कि इसे स्वीकृत करने के लिए प्रतिबद्धता नहीं की गयी होती यदि उपधारा (1) का खंड (बी) उस तारीख को, जब ऋण अथवा अग्रिम किया गया था, प्रभावी होता, अथवा बैंकिंग नियम (संशोधन) अधिनियम, 1968 (1968 का 58) की धारा 5 प्रारंभ होने के पश्चात बैंकिंग कंपनी द्वारा स्वीकृत किया गया है परंतु ऐसे प्रारंभ से पहले किए गए प्रतिबद्धता के अनुसरण में, ऋण अथवा अग्रिम की स्वीकृति के समय उसके संबंध में निर्धारित अवधि के भीतर उस पर देय, अथवा जहां ऐसी अवधि निर्धारित नहीं की गई है, उक्त धारा 5 के प्रारंभ होने से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले, ऋण अथवा अग्रिम के कारण बैंकिंग कंपनी को देय मूल के साथ ब्याज, यदि कोई है, की वसूली के लिए उपाय किए जाएंगे।

बशर्ते कि बैंकिंग कंपनी द्वारा इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक को किसी मामले में लिखित आवेदन किया गया हो तो भारतीय रिजर्व बैंक, ऋण अथवा अग्रिम की वसूली की अवधि ऐसी तारीख तक बढ़ा सकता है, जो उक्त धारा 5 के आरंभ से 3 वर्ष की अवधि के बाद की तारीख नहीं होगी और ऐसे नियम एवं शर्तों के अध्यधीन होगी, जैसा भारतीय रिजर्व बैंक उचित समझेगा।

इसके अतिरिक्त यह उपधारा उस अवस्था में लागू नहीं होगी, जब संबंधित निदेशक बैंकिंग कंपनी के निदेशक पद को या तो मृत्यु, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र अथवा अन्य किसी कारण से रिक्त कर देता है।

3. उपधारा (2) में संदर्भित कोई ऋण अथवा अग्रिम अथवा उसका कोई भाग, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना परेषित नहीं किया जाएगा और ऐसे अनुमोदन के बिना कोई भी परेषण अवैध एवं अप्रभावी माना जाएगा।
4. जहां उपधारा (2) में संदर्भित कोई ऋण अथवा अग्रिम, किसी व्यक्ति द्वारा देय, उस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर बैंकिंग कंपनी को चुकता नहीं किया गया है, तब ऐसा व्यक्ति, यदि उक्त अवधि की समाप्ति पर ऐसी बैंकिंग कंपनी का निदेशक है, तो वह इस कारण उक्त तारीख को अपना कार्यभार रिक्त किया हुआ समझा जाएगा।

इस धारा का स्पष्टीकरण –

- क) "ऋण अथवा अग्रिम" में ऐसा कोई संव्यवहार शामिल नहीं होगा जिसे भारतीय रिजर्व बैंक, संव्यवहार की प्रकृति, संव्यवहार के कारण सम्भावित देय राशि की वसूली, चुकौती अवधि, चुकौती के ढंग और परिस्थितियों, जमाकर्ताओं के हित और अन्य सम्बद्ध खतों को ध्यान में रखते हुए, सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकता है कि यह इस धारा के प्रयोजन के लिए ऋण अथवा अग्रिम नहीं है :
- ख) "निदेशक" का तात्पर्य बैंकिंग कंपनी द्वारा भारत में गठित किसी निदेशक मंडल अथवा समिति के सदस्य से है जो इसका प्रबंध करने के प्रयोजन के लिए है अथवा इसके सभी या किन्हीं मामलों के प्रबंधन के संबंध में परामर्श देने के लिए है।

2. Where any loan or advance granted by a banking company is such that a commitment for granting it could not have been made if Cl. (b) of sub-section (1) had been in force on the date on which the loan or advance was made, or is granted by a banking company after the commencement of Section 5 of the Banking Laws (Amendment) Act, 1968 (58 of 1968), but in pursuance of a commitment entered into before such commencement, steps shall be taken to recover the amount due to banking company on account of the loan or advance together with interest, if any, due thereon within the period stipulated at the time of the grant of loan or advance, or where no such period has been stipulated, before the expiry of one year from the commencement of the said Section 5:

PROVIDED that the Reserve Bank may, in any case on any application in writing made to it by the banking company in this behalf, extend the period for the recovery of the loan or advance until such date, not being a date beyond the period of three years from the commencement of the said Section 5, and subject to such terms and conditions, as the Reserve Bank may deem fit:

PROVIDED FURTHER that this sub-section shall not apply if and when the director concerned vacates the office of the director of the banking company, whether by death, retirement, resignation or otherwise.

3. No Loan or advance, referred to in sub-section (2), or any part thereof shall be remitted without the previous approval of the Reserve Bank, and any remission without such approval shall be void and of no effect.
4. Where any loan or advance referred to in sub-section (2), payable by any person, has not been repaid to the banking company within the period specified in that sub-section, then such person shall, if he is a director of such banking company on the date of the expiry of the said period, be deemed to have vacated his office as such on the said date.

Explanation - In this Section -

- a) "Loan or advance" shall not include any transaction which the Reserve Bank may, having regard to the nature of the transaction, the period within which, and the manner and circumstances in which, any amount due on account of the transaction is likely to be realised, the interest of the depositors and other relevant considerations, specify by general or special order as not being a loan or advance for the purpose of this section;
- b) "Director" includes a member of any board or committee in India constituted by a banking company for the purpose of managing, or for the purpose of advising it in regard to the management of, all or any of its affairs.

5. यदि यह प्रश्न पैदा होता है कि कोई संव्यवहार इस धारा के प्रयोजन के लिए ऋण अथवा अग्रिम है या नहीं, तो यह मामला भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजा जाएगा जिसका इस बारे में निर्णय अंतिम माना जाएगा।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970

मताधिकार के संबंध में प्रतिबंध

धारा 3 (2ई) तदनुसूची नए बैंक का कोई शेयरधारक, केन्द्रीय सरकार के अलावा अपने द्वारा धारित किन्हीं शेयरों के विषय में तदनुसूची नए बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के एक प्रतिशत से अधिक मताधिकार का प्रयोग करने के लिए हकदार नहीं होगा।

निदेशक मंडल का गठन

धारा 9 (3) (i) जहां धारा 3 की उपधारा 2 (बी) के खंड (सी) के तहत जारी पूंजी:

- (i) कुल चुकता पूंजी के सौलह प्रतिशत से अधिक नहीं है, तो एक निदेशक,
 - (ii) कुल चुकता पूंजी सौलह प्रतिशत से अधिक है परंतु के बत्तीस प्रतिशत से अधिक नहीं है, तो दो निदेशक,
 - (iii) कुल चुकता पूंजी के बत्तीस प्रतिशत से अधिक है, तो तीन निदेशक
- तो केन्द्रीय सरकार से भिन्न शेयरधारकों द्वारा अपने में से चुने जाएंगे।

बशर्ते कि इस खंड के तहत किसी ऐसे निदेशक के चुनाव के बाद कार्यभार ग्रहण करने पर, खंड (एच) के तहत नामित उतने ही निदेशक इस प्रकार से सेवानिवृत्त होंगे, जैसा की योजना में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

धारा 9 (3ए) उक्त खंड (एच) के तहत नामित कए जाने वाले अथवा खंड (आई) उपधारा (3) के तहत निर्वाचित किए जाने वाले निदेशक –

- क) निम्नलिखित में से किसी एक अथवा एक से अधिक विषय में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होने चाहिए –
- i) कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था
 - ii) बैंकिंग
 - iii) सहकारिता
 - iv) अर्थशास्त्र
 - v) वित्त
 - vi) विधि
 - vii) लघु उद्योग
 - viii) अन्य विषय जो भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी है।

ख) जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करते हों, अथवा

ग) किसानों, कामगारों एवं शिल्पकारों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हों।

धारा 9 (3एए) – उपधारा 3 (ए) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और इस अधिनियम अथवा इस समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि में समाविष्ट किसी प्रावधान के विपरीत हुए बिना कोई भी व्यक्ति धारा (3) के खंड (i) के तहत निदेशक के रूप में निर्वाचित होने का तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह

5. If any question arises whether any transaction is a loan or advance for the purpose of this section, it shall be referred to the Reserve Bank, whose decision thereon shall be final.

EXTRACT OF THE BANKING COMPANIES (ACQUISITION & TRANSFER OF UNDERTAKINGS) ACT, 1970.

Restrictions on voting rights

Section 3(2E) No Shareholder of the bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of one per cent of the total voting rights of all the shareholders of the bank.

Composition of the Board of Directors.

Section 9(3)(i) where the capital issued under clause (c) of sub-section (2B) of Section 3 is-

- (i) not more than sixteen per cent of the total paid-up capital, one director;
- (ii) more than sixteen per cent but not more than thirty two per cent of the total paid up capital, two directors;
- (iii) more than thirty two per cent of the total paid up capital, three directors,

to be elected by the shareholders, other than the Central Government, from amongst themselves:

PROVIDED that on the assumption of charge after election of any such Directors under this clause, equal number of Directors nominated under clause (h) shall retire in such manner as may be specified in the Scheme.

Section 9(3A) The Directors to be nominated under clause (h) or to be elected under clause (i) of sub- section (3) shall:

- (A) have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the following matters namely:-
- i) agriculture and rural economy
 - ii) banking
 - iii) co-operation
 - iv) economics
 - v) finance
 - vi) law
 - vii) small-scale industry
 - viii) any other matter the special knowledge of and practical experience in, which would in the opinion of the Reserve Bank, be useful to the bank;

(B) represent the interests of depositors; or

(C) represent the interests of farmers, workers and artisans.

Section 9(3AA) Without prejudice to the provisions of sub-section (3A) and notwithstanding anything to the contrary contained in this Act or in any other law for the time being in force, no person shall be eligible to be elected as director under clause(i) of sub-section(3) unless he is a person having

व्यक्ति ट्रेक रिकार्ड, ईमानदारी और इस बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित ऐसे अन्य मानदंडों के आधार पर उपयुक्त एवं समुचित हैसियत न रखता हो।

धारा 9 (3एबी) भारतीय रिज़र्व बैंक उपधारा (3ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में निर्धारण करने प्राधिकार, ऐसे निर्धारण के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया और ऐसे दूसरे मसले, जिन्हें आवश्यक अथवा प्रासंगिक समझा जाए, के बारे में विनिर्दिष्ट भी कर सकता है।

धारा 9(3बी) जहां भारतीय रिज़र्व बैंक की यह राय है कि उपधारा (3) के खंड (i) के तहत तदनुसूची नए बैंक का निर्वाचित कोई निदेशक उपधारा (3ए) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है, तो ऐसे निदेशक और बैंक को सुनवाई का समुचित अवसर दिए जाने के बाद, यह आदेश द्वारा ऐसे निदेशक को हटा सकता है और इस प्रकार हटाए जाने पर, निदेशक मंडल, उपधारा (3ए) की अपेक्षाओं को पूरा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को, हटाए गए व्यक्ति के स्थान पर तब तक के लिए सहविकल्प के रूप में निदेशक चुन लेगा जबतक की तदनुसूची नए बैंक के शेयरधारकों द्वारा आगामी वार्षिक सामान्य बैठक में निदेशक विधिवत् निर्वाचित कर लिया जाए और ऐसा सहविकल्पित व्यक्ति तदनुसूची नए बैंक के शेयरधारकों द्वारा निदेशक के रूप में विधिवत् निर्वाचित समझा जाएगा।

सत्यनिष्ठा और गोपनीयता की घोषणा :

धारा 13(2) प्रत्येक निदेशक, स्थानीय बोर्ड अथवा समिति का सदस्य, अथवा तदनुसूची नए बैंक का लेखापरीक्षक, परामर्शदाता, अधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी, अपने कर्तव्य का दायित्व संभालने से पहले, तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट फॉर्म में सत्यनिष्ठा और गोपनीयता की घोषणा करेगा।

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 का सारांश

खंड 4 नामित निदेशकों की सेवानिवृत्ति का ढंग

अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) के खंड (एच) में संदर्भित निदेशक निर्वाचित निदेशकों द्वारा पदभार ग्रहण करने पर बारी-बारी से इस ढंग से सेवानिवृत्त होंगे कि जो निदेशक पिछले नामांकन से अपने पद पर लंबे समय से हो वह पहले सेवानिवृत्त होगा और इस बीच के व्यक्ति, जो उसी दिन निदेशक बने थे, जो व्यतिक्रम में सेवानिवृत्त होने हैं अथवा उनमें किसी करार के अध्यक्षीन हैं, केन्द्रीय सरकार के निर्णय के द्वारा सेवानिवृत्त होंगे।

खंड 9. निर्वाचित निदेशकों के कार्यकाल की अवधि

9(4) निर्वाचित निदेशक के कार्यकाल की अवधि तीन वर्ष होगी और वह पुनः निर्वाचन के लिए पात्र होगा। परन्तु ऐसा निदेशक निरंतर छः वर्ष से अधिक पद पर नहीं रहेगा

खंड 10. निदेशकों की अयोग्यताएं :

कोई भी व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्त होने, और निदेशक होने के लिए अयोग्य होगा :

- क) यदि वह, किसी समय दिवालिया करार कर दिया गया हो या उसने लेनदारों का भुगतान रोके रखा हो या प्रशमन किया हो, अथवा
- ख) यदि उसे, विवृत दिमाग का पाया गया हो अथवा उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो, अथवा
- ग) यदि वह, फौजदारी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो अथवा उसने ऐसा अपराध किया हो जो नैतिक चरित्र हीनता से जुड़ा हो, अथवा

fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as the Reserve Bank may notify from time to time in this regard.

Section 9(3AB) The Reserve Bank may also specify in the notification issued under sub-section (3AA), the authority to determine the fit and proper status, the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.

Section 9 (3B) Where the Reserve Bank is of the opinion that any Director of a bank elected under clause (i) of sub-section (3) does not fulfil the requirements of sub-section (3A) and (3AA), it may, after giving to such Director and the bank a reasonable opportunity of being heard, by order, remove such director and on such removal, the Board of Directors shall co-opt any other person fulfilling the requirements of sub-section (3A) and (3AA), as a Director in place of the person so removed till a Director is duly elected by the shareholders of the bank in the next annual general meeting and the person so co-opted shall be deemed to have been duly elected by the shareholders of the bank as a Director.

Obligation as to Fidelity and Secrecy:

Section 13(2) Every director, member of a local board or a committee, or auditor, adviser, officer or other employee of a bank shall, before entering upon his duties, make a declaration of fidelity and secrecy in the form set out in the Third Schedule.

EXTRACT OF NATIONALISED BANKS (MANAGEMENT AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) SCHEME, 1970

Clause 4: Manner of Retirement of Nominee Directors:

The directors referred to in clause (h) of sub-section (3) of Section 9 of the Act, shall retire by rotation, when the elected directors assume charge, in such manner that the directors who have been longest in office since last nomination, shall retire first and as between persons, who became directors on the same day, those who are to retire, shall, in default of or subject to any agreement among themselves, be decided by the Central Government.

Clause 9: Term of Office of elected directors

9 (4) An elected director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election. Provided that no such director shall hold office continuously for a period exceeding six years.

Clause 10: Disqualification for directorship

A person shall be disqualified for being appointed as, and for being a Director:-

- (a) if he has at any time being adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
- (b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court ; or
- (c) if he has been convicted by a criminal court of an offense which involves moral turpitude.; or

- घ) यदि वह, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत गठित भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में यथापरिभाषित किसी अनुषंगी बैंक के तहत लाभ का पद धारण करता है / करती है, सिवाय कि वह प्रबंध निदेशक तथा अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ई) और (एफ) के तहत बैंक के कर्मचारियों में से नामित निदेशकों सहित पूर्णकालिक निदेशक का पद धारण करता है / करती है।

खंड 11. निदेशकों के पद रिक्त होना, आदि

- (1) यदि कोई निदेशक, खंड 10 में विनिर्दिष्ट अयोग्यताओं के अध्यधीन अथवा निदेशक मंडल की पूर्व अनुमति के बिना उसकी तीन से अधिक बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहता है तो वह इस कारण अपने पद को रिक्त कर दिया हुआ समझा जाएगा और उसके परिणामस्वरूप उसका पद रिक्त हो जाएगा।
- (2) अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (बी) अथवा खंड (सी) में निर्दिष्ट अध्यक्ष अथवा प्रबंध निदेशक सहित पूर्ण कालिक निदेशक अथवा निदेशक केंद्रीय सरकार को त्यागपत्र का नोटिस लिखित में देते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है और ऐसे त्यागपत्र को उस सरकार द्वारा स्वीकार कर लिए जाने पर यह समझा जाएगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है; और कोई अन्य निदेशक केंद्रीय सरकार को अपने त्यागपत्र का नोटिस लिखित में देते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है और केंद्रीय सरकार से त्यागपत्र की सूचना की प्राप्ति होने पर त्यागपत्र प्रभावी होगा।
- (3) पूर्वोक्त उप-खंडों के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के सी. 1(ई) अथवा सी 1(एफ) में संदर्भित निदेशक का पद तब खाली माना जायेगा. जब राष्ट्रीयकृत बैंक के कामगार से भिन्न निदेशक कामगार या कर्मचारी के रूप में पद छोड़ देता है।
- (4) जहां निर्वाचित निदेशक के अलावा किसी निदेशक का कोई पद रिक्त होता है, तो यह पद अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अनुरूप भरा जाएगा।

खंड 11 ए. निर्वाचित निदेशक को पद से हटाना

केंद्रीय सरकार के अलावा ऐसे शेयरधारक, जिनकी सकल-धारिता उनके द्वारा धारित शेयर पूंजी के आधे से कम नहीं है, तो धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (i) के तहत निर्वाचित किसी निदेशक को बहुमत से पारित संकल्प द्वारा पद से हटा सकते हैं और रिक्त पद को भरने के लिए उसके स्थान पर दूसरे व्यक्ति को निर्वाचित कर सकते हैं।

खंड 11 बी निर्वाचित निदेशक के रिक्त पद को भरना

11 बी (1) जहां निर्वाचित निदेशक के कार्यकाल की अवधि की समाप्ति से पहले कोई पद रिक्त होता है, तो रिक्त पद को चुनाव द्वारा भरा जाएगा।

बशर्ते कि जहां रिक्त पद की अवधि 6 माह से कम होने की संभावना हो, रिक्त पद को शेष निदेशकों द्वारा भरा जा सकता है।

11 बी (2) कोई व्यक्ति जो निर्वाचित अथवा विकल्पित है, जैसा मामला हो, उपखण्ड (1) के तहत अपने पूर्ववर्ती के कार्य अवधि के असमाप्त भाग के लिए पद धारण करेगा।

- (d) if he holds any office of profit under any nationalised bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of section 3 of the State bank of India Act, 1955. or any subsidiary bank as defined in section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act. 1959, except for holding the post of a whole-time director, including the managing director and directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of section 9 of the Act from among the employees of the corresponding new bank.

Clause 11: Vacation of office of directors

- (1) If a Director becomes subject to any of the disqualifications specified in clause 10, or is absent without leave of the Board for more than three consecutive meetings thereof, he shall be deemed to have vacated his office as such and thereupon his office shall become vacant.
- (2) The Chairman or a whole-time Director including the Managing Director or a Director referred to in clause (b) or clause (c) of sub-section (3) of section 9 of the Act, may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and on such resignation being accepted by that Government shall be deemed to have vacated his office; and any other Director may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and such resignation shall take effect on the receipt of the communication of the resignation by the Central Government .
- (3) Without prejudice to the provision of the foregoing sub-clause, the office of a director referred to in clause (e) or Clause (f) of Sub-Section 3 of Section 9 of the Act, shall become vacant as soon as the director ceases to be a workman or an employee other than a workman of the nationalised bank of which he is a Director.
- (4) Where any vacancy occurs in the office of a Director, other than an elected Director, it shall be filled in accordance with sub-section (3) of Section 9 of the Act.

Clause 11A . Removal from office of an elected Director

The shareholders, other than the Central Government, may, by a resolution passed by majority of the votes of such shareholders holding in the aggregate, not less than one half of the share capital held by all such shareholders, remove any Director elected under Clause (i) of sub-section (3) of Section 9 and elect in his stead another person to fill the vacancy.

Clause 11B. Filling of vacancy in the office of an elected Director:

11B(1) Where any vacancy occurs before the expiry of the term of office of an elected Director, the vacancy shall be filled by election.

Provided that where the duration of vacancy is likely to be less than six months, the vacancy may be filled by the remaining directors.

11B(2) A person elected or co-opted as the case may be, under Sub-clause (1) shall hold office for the unexpired portion of the term of his predecessor.

निदेशकों द्वारा हित प्रकटीकरण

खंड 12 (8) निदेशक जो राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा या की ओर से किए गए अथवा किए जाने हेतु प्रस्तावित किसी संविदा, ऋण, प्रबंध अथवा प्रस्ताव में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध है अथवा रुचि ले रहा है, सम्बद्ध परिस्थितियों उसकी जानकारी में आने के पश्चात यथाशीघ्र अपने हित (रुचि) की प्रकृति को निदेशक मण्डल में प्रकट करेगा और जब ऐसी संविदा, ऋण, प्रबंध अथवा प्रस्ताव के बारे में निदेशक मण्डल में चर्चा की जाएगी, वह निदेशक मण्डल की बैठक में, जब तक कि उस प्रयोजन के लिए सूचना प्राप्त करने के लिए अन्य निदेशकों द्वारा उसकी उपस्थिति अपेक्षित न हो, उपस्थित नहीं रहेगा।

बशर्ते कि इस उपधारा में समाहित कुछ भी ऐसे निदेशकों पर मात्र निम्नलिखित होने के कारण लागू नहीं होगा :

- (i) कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में यथा परिभाषित सार्वजनिक कम्पनी अथवा भारत में फिलहाल लागू विधि द्वारा अथवा विधि के तहत स्थापित किसी निगम अथवा किसी सहकारी समिति, जिसके साथ अथवा जिसकी ओर से राष्ट्रीयकृत बैंक ने संविदा, ऋण, प्रबंध अथवा प्रस्ताव किया है अथवा करने वाला है, में किसी शेयरधारक (निदेशक के अलावा) की धारिता चुकता पूंजी के 2% से अधिक नहीं है।
- (ii) राष्ट्रीयकृत बैंक का अधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी, यदि वह निदेशक है। (अधिनियम 9 की उपधारा (3) की खण्ड (ई) अथवा खण्ड (एफ) में विनिर्दिष्ट)

बैंक ऑफ बड़ौदा सामान्य (शेयर एवं बैंक) विनियमन 1998 का सारांश

अध्याय II

(शेयर एवं शेयर रजिस्टर)

10. संयुक्त धारकों के अधिकार का इस्तेमाल

यदि शेयर दो अथवा दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर हैं तो रजिस्टर में दर्ज प्रथम व्यक्ति मतदान, लाभांश प्राप्ति, नोटिस और शेयरों के अंतरण को छोड़कर बैंक से संबंधित सभी अथवा अन्य किसी मामले के बारे में शेयरों का एकलधारक समझा जायेगा।

अध्याय IV

(शेयरधारकों की बैठक)

61. सामान्य बैठक में मतदान

- (i) किसी सामान्य बैठक में बैठक के लिए प्रस्तुत संकल्प पर निर्णय हाथ खड़े करके लिया जाएगा बशर्ते कि मतदान की मांग नहीं की गई हो।
- (ii) अधिनियम में अन्यथा प्रावधान नहीं किया गया हो, सामान्य बैठक में किसी भी मामले पर निर्णय बहुमत से लिया जाएगा।
- (iii) जब तक उप विनियम (1) के अंतर्गत, मतदान की मांग न की गई हो, बैठक अध्यक्ष द्वारा की गई यह घोषणा कि हाथ खड़े करके कोई संकल्प सर्वसम्मति से अथवा निर्धारित बहुमत से पारित कर लिया गया है या पारित नहीं किया गया है और बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत्त में इस बारे में किया गया उल्लेख, संकल्प के पक्ष या विपक्ष में दिए गए मतों की संख्या या अनुपात के सबूत के बिना, निर्णयात्मक साक्ष्य होगा।
- (iv) किसी संकल्प पर हाथ खड़े करके मतदान के परिणाम की घोषणा से पूर्व या घोषणा होने पर बैठक के अध्यक्ष द्वारा अपने प्रस्ताव

Disclosure of Interest by Directors

Clause 12(8) A director who is directly or indirectly concerned or interested in any contract, loan, arrangement or proposal entered into or proposed to be entered into by or on behalf of the nationalised bank shall, as soon as possible after the relevant circumstances have come to his knowledge, disclose the nature of his interest to the board and shall not be present at the meeting of the Board when any such contract, loan arrangement or proposal is discussed unless his presence is required by the other directors for the purpose of eliciting information and no Director so required to be present shall vote on any such contract, loan, arrangement or proposal:

Provided that nothing contained in this sub-clause shall apply to such Director by reason only of his being:

- (i) a shareholder (other than a Director) holding not more than two percent of the paid-up capital in any public company as defined in the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or any Corporation established by or under any law for the time being in force in India or any Co-operative Society, with which or to which the nationalised bank has entered into or made, or proposes to enter into or make, a contract, loan, arrangement or proposal or
- (ii) an officer or other employee of the nationalised bank, if he is a Director referred to in clause (e) of clause (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act.

EXTRACT OF BANK OF BARODA (SHARES AND MEETINGS) REGULATIONS, 1998

CHAPTER II

(SHARES AND SHARE REGISTER)

10. Exercise of rights of joint holders:

If any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, receipt of dividends, service of notices and all or any other matter connected with the Bank except the transfer of shares, be deemed to be the sole holder thereof.

CHAPTER IV

(MEETINGS OF SHAREHOLDERS)

61. Voting at general meetings

- (i) At any general meeting, a resolution put to the vote of the meeting shall, unless a poll is demanded, be decided on a show of hands.
- (ii) Save as otherwise provided in the Act, every matter submitted to a general meeting shall be decided by a majority of votes.
- (iii) Unless a poll is demanded under sub-regulation (i), a declaration by the Chairman of the meeting that a resolution on show of hands has or has not been carried either unanimously or by a particular majority and an entry to that effect in the books containing the minutes of the proceedings, shall be conclusive evidence of the fact, without proof of the number or proportion of the votes cast in favour of, or against, such resolution.
- (iv) Before or on the declaration of the result of the voting on any resolution on a show of hands, a poll

पर मतदान का आदेश किया जा सकता है और ऐसा आदेश बैठक में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित किसी शेयरधारक या शेयरधारकों या प्रॉक्सी द्वारा इस तरह की मांग करने पर बैठक के अध्यक्ष द्वारा लिया जाएगा और बैंक में शेयरधारिता, जोकि संकल्प पर मतदान करने के अधिकार प्रदान करती है, संकल्प के संबंध में कुल मतदान अधिकार के पांचवे हिस्से से कम न हो।

- (v) मतदान की मांग करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा मतदान करने की मांग कभी भी वापस ली जा सकती है।
- (vi) स्थगन की मांग या प्रश्न या बैठक अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु मतदान की मांग उसी समय की जाएगी।
- (vii) किसी अन्य प्रश्न पर, इस तरह की मांग किए जाने के -48- घंटे से भीतर बैठक के अध्यक्ष के निर्देशानुसार किया जाएगा।
- (viii) किसी व्यक्ति द्वारा मतदान करने की योग्यता और मतदान के संदर्भ में कोई व्यक्ति कितने मत देने हेतु सक्षम है, इस बारे में बैठक के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

61 ए मतदान में जांचकर्ता

- (i) मतदान होने की स्थिति में बैठक में अध्यक्ष द्वारा दो व्यक्तियों को जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया जाएगा जोकि मतदान में दिए गए मतों की जांच करेंगे और अध्यक्ष को इसकी रिपोर्ट देंगे।
- (ii) बैठक के अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वह मतदान की घोषणा से पूर्व कभी भी जांचकर्ता को उसके पद से हटा सकता है और उसको हटाए जाने या अन्य किसी कारण से उत्पन्न रिक्त स्थान को भर सकता है।
- (iii) इस विनियम के अंतर्गत नियुक्त दो जांचकर्ताओं में से एक जांचकर्ता बैठक में उपस्थित शेयरधारक (बैंक का अधिकारी या कर्मचारी नहीं) होना चाहिए बशर्ते कि वह उपलब्ध एवं नियुक्ति का इच्छुक हो।

61 बी मतदान करने का तरीका और उसका परिणाम

- (i) बैठक के अध्यक्ष को मतदान के तरीके को तय करने का अधिकार होगा।
- (ii) मतदान का परिणाम, बैठक का निर्णय माना जाएगा जिसके प्रस्ताव के आधार पर मतदान कराया गया।

अध्याय V

(निदेशकों का चुनाव)

63. सामान्य बैठकों में निदेशकों का चुनाव

- (i) निदेशक अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत बैंक की सामान्य बैठक में केन्द्रीय सरकार से भिन्न शेयरधारकों द्वारा, जिनका नाम रजिस्टर पर है, में से चुना जाएगा।
- (ii) जहां किसी सामान्य बैठक में निदेशक का चुनाव होगा, उससे संबंधित नोटिस बैठक बुलाने वाले नोटिस में सम्मिलित होगा। ऐसे नोटिस में रिक्त पदों से संबंधित विवरण तथा चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या विशेषतः जिनका चुनाव होना है, स्पष्ट होनी चाहिए।

may be ordered to be taken by the chairman of the meeting of his own motion, and shall be ordered to be taken by him on a demand made in that behalf by any shareholder or shareholders present in person or by proxy and holding shares in the Bank which confer a power to vote on the resolution not being less than one fifth of the total voting power in respect of the resolution.

- (v) The demand for a poll may be withdrawn at any time by the person or persons who made the demand.
- (vi) A poll demanded on a question of adjournment or election of chairman of the meeting shall be taken forthwith.
- (vii) A poll demanded on any other question shall be taken at such time not being later than forty eight hours from the time when the demand was made, as the chairman of the meeting may direct.
- (viii) The decision of the chairman of the meeting as to the qualification of any person to vote, and also in the case of poll, as to the number of votes any person is competent to exercise shall be final.

61A Scrutineers at Poll

- (i) Where a poll is to be taken, the Chairman of the meeting shall appoint two scrutineers to scrutinize the votes given on the poll and to report thereon to him.
- (ii) The Chairman of the meeting shall have the power, at any time before the result of the poll is declared, to remove a scrutineers from the office and to fill the vacancy in the office of the scrutineers arising from such removal or from any other cause.
- (iii) Of the two scrutineers appointed under this regulation one shall always be a shareholder (not being an Officer or employee of the Bank) present at the meeting; provided that such a shareholder is available and willing to be appointed.

61B Manner of taking poll and result thereof:

- i) The Chairman of the meeting shall have power to regulate the manner in which a poll shall be taken.
- ii) The result of the poll shall be deemed to be the decision of the meeting on the resolution on which the poll was taken.

CHAPTER V

(ELECTION OF DIRECTORS)

63. Directors to be elected at general meeting

- (i) A director under clause (i) of sub-section (3) of Section 9 of the Act shall be elected by the shareholders on the register, other than the Central Government, from amongst themselves in the general meeting of the Bank.
- (ii) Where an election of a director is to be held at any general meeting, the notice thereof shall be included in the notice convening the meeting. Every such notice shall specify the number of directors to be elected and the particulars of vacancies in respect of which the election is to be held.

64. शेयरधारकों की सूची :

- (i) इन विनियमों के विनियम 63 के उप विनियम (i) के अंतर्गत निदेशक के चुनाव के उद्देश्य से रजिस्टर से शेयरधारकों की एक सूची तैयार की जाएगी जिनके द्वारा निदेशक का चुनाव होगा।
- (ii) सूची में शेयरधारकों के नाम, उनका रजिस्टर्ड पता, उनके पास शेयरों की संख्या तथा शेयर का पृथक क्रमांक, उस तारीख सहित जिस दिन वह रजिस्टर्ड किए गए थे तथा बैठक के लिए निर्धारित दिनांक को जिस पर चुनाव होगा, मताधिकार की संख्या जिनके लिए वे हकदार होंगे तथा शेयरधारकों की सूची की प्रति खरीदने के लिए बैठक की निर्धारित तारीख से 3 सप्ताह पूर्व उपलब्ध रहेगी, यह सूची बोर्ड या प्रधान कार्यालय की प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध रहेगी।

65. चुनाव हेतु प्रत्याशियों का नामांकन :

- (i) निदेशक के रूप में निर्वाचन के लिए किसी प्रत्याशी का नामांकन तब तक वैध नहीं होगा, जब तक कि :
 - (क) वह बैंक का शेयरधारक हो और उसके पास 100 (एक सौ) से कम शेयर न हो।
 - (ख) वह नामांकन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को अधिनियम के अंतर्गत या योजना के अंतर्गत, निदेशक होने के लिए अयोग्य नहीं हो।
 - (ग) उसके द्वारा धारित बैंक के सभी शेयरों, चाहे उसके एकल नाम हों अथवा अन्य के साथ संयुक्त रूप से हो, से संबंधित मांग की राशि का भुगतान निर्धारित अंतिम तारीख तक या इससे पहले कर दिया हो।
 - (घ) उक्त अधिनियम के अंतर्गत निदेशक निर्वाचित करने के लिए नामांकन लिखित रूप में किया गया हो और कम से कम एस सौ पात्र शेयरधारकों अथवा यथाविधि गठित उनके मुख्तार द्वारा हस्ताक्षरित हो, बशर्ते किसी शेयरधारक द्वारा जो एक कंपनी हो, किया गया नामांकन, उसके निदेशकों द्वारा पारित किए गए संकल्प के अनुसार किया गया हो और जिस बैठक में इसे पारित किया गया हो उसके अध्यक्ष द्वारा संकल्प की एक प्रति, बैंक के प्रधान कार्यालय को भेजी गयी हो और ऐसी प्रति को ऐसी कंपनी की ओर से नामांकन समझा जाएगा।
 - (च) नामांकन के साथ अथवा नामांकन में प्रत्याशी द्वारा किसी न्यायाधीश, मेजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार अथवा एश्योरेंस के उप-रजिस्ट्रार के समक्ष अथवा किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के किसी अधिकारी अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के किसी अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित घोषणा शामिल होनी चाहिए कि वह नामांकन को स्वीकार करता है और चुनाव में खड़े होने के लिए इच्छुक है, और अधिनियम अथवा योजना अथवा इन विनियमों के तहत निदेशक होने के लिए वह अयोग्य नहीं है।
- (ii) कोई नामांकन तब तक वैध नहीं है जब तक कि सभी प्रकार से पूर्ण संबंधित दस्तावेजों के साथ नामांकन प्रधान कार्यालय स्तर पर बैठक के लिए निर्धारित तारीख से 14 दिन पूर्व कार्य दिवस पर प्राप्त न हो जाए।

66. नामांकनों की जांच

- (i) नामांकन प्राप्त होने के लिए निर्धारित तारीख के बाद के प्रथम कार्य दिवस को नामांकनों की जांच की जाएगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया गया तो उसके लिए कारण दर्ज करने के पश्चात उसे अस्वीकृत

64. List of shareholders

- (i) For the purpose of election of a director under sub-regulation (i) of Regulation 63 of these regulations, a list shall be prepared of shareholders on the register by whom the director is to be elected.
- (ii) The list shall contain the names of the shareholders, their registered addresses, the number and denoting distinctive numbers of shares held by them with the dates on which the shares were registered and the number of votes to which they will be entitled on the date fixed for the meeting at which the election will take place and copies of the list shall be available for purchase at least three weeks before the date fixed for the meeting at a price to be fixed by the Board or the Management Committee, on application at the Head Office.

65. Nomination of candidates for election

- (i) No nomination of a candidate for election as a director shall be valid unless ,
 - (a) he is a shareholder holding not less than 100 (one hundred) shares in the Bank;
 - (b) he is on the last date for receipt of nomination, not disqualified to be a director under the Act or under the Scheme;
 - (c) he has paid all calls in respect of the shares of the Bank held by him, whether alone or jointly with others, on or before the last date fixed for the payment of the call;
 - (d) the nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by a shareholder who is a company may be made by a resolution of the directors of the said company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be despatched to the Head Office of the Bank and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such company;
 - (e) the nomination accompanies or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any nationalised bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified either under the Act or the Scheme or these regulations from being a director.
- (ii) No nomination shall be valid unless it is received with all the connected documents complete in all respects and received, at the Head Office of the Bank on a working day not less than fourteen days before the date fixed for the meeting.

66. Scrutiny of nominations

- (i) Nominations shall be scrutinised on the first working day following the date fixed for receipt of the nominations and in case any nomination is not

कर दिया जाएगा। यदि चुनाव द्वारा किसी विशेष रिक्त पद को भरने के लिए केवल एक वैध नामांकन है तो इस प्रकार नामित प्रत्याशी उसी समय से निर्वाचित समझा जाएगा और उसका नाम तथा पता निर्वाचित के रूप में प्रकाशित किया जाएगा। ऐसी अवस्था में चुनाव के प्रयोजन के लिए आयोजित बैठक स्थल पर कोई चुनाव नहीं होगा और यदि बैठक उक्त चुनाव के प्रयोजन मात्र के लिए ही आयोजित की गई है तो इसे निरस्त समझा जाएगा।

- (ii) चुनाव होने की अवस्था में, यदि नामांकनों की संख्या निर्वाचित किए जाने वाले निदेशकों की संख्या से अधिक है तो बहुमत प्राप्त प्रत्याशी को निर्वाचित समझा जाएगा।
- (iii) मौजूदा रिक्त पद को भरने के लिए निर्वाचित निदेशक को उस तारीख से पदभार ग्रहण किया हुआ समझा जाएगा जिस तारीख को वह निर्वाचित अथवा निर्वाचित समझा गया है।

67. चुनाव विवाद

- (i) यदि निर्वाचित समझे अथवा निर्वाचित घोषित किसी व्यक्ति की योग्यता अथवा अयोग्यता, अथवा किसी निदेशक के चुनाव की वैधता के बारे में विवाद पैदा होता है, तो प्रत्याशी होने के लिए इच्छुक कोई व्यक्ति अथवा ऐसे चुनाव में मतदान करने के लिए हकदार शेयरधारक, ऐसे चुनाव के परिणाम के घोषित होने की तारीख के 7 दिन के भीतर उसकी सूचना लिखित में बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को दे सकता है और उक्त सूचना में वह उन कारणों का पूर्ण विवरण देगा जिसके आधार पर चुनाव की वैधता के बारे में उसे संदेह अथवा विवाद है।
- (ii) उप विनियम (i) के तहत सूचना प्राप्त होने पर बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा इसकी अनुपस्थिति में कार्यकारी निदेशक ऐसे संदेह अथवा विवाद को निर्णय हेतु अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (बी) और (सी) के तहत नामित किन्हीं दो निदेशकों से गठित समिति को उसी समय भेज सकता है।
- (iii) उप विनियम (ii) में संदर्भित समिति ऐसी जांच करेगी जैसा यह आवश्यक समझती है और यदि समिति पाती है कि चुनाव वैध चुनाव था तो यह चुनाव के घोषित परिणाम की पुष्टि करेगी अथवा यदि यह पाती है कि चुनाव एक वैध चुनाव नहीं था तो यह जांच आरम्भ होने के 30 दिन के भीतर, परिस्थितियों के अनुसार, नया चुनाव करने सहित ऐसे आदेश और ऐसे निदेश जारी करेगी जैसा समिति को न्यायपूर्ण लगेगा।
- (iv) इस विनियम के अनुसरण में ऐसी समिति का आदेश और निदेश अंतिम होगा।

अध्याय VI

(शेयरधारकों के मताधिकार)

68. मताधिकार का निर्धारण

- (i) अधिनियम की धारा 3 (2-ई) में निर्दिष्ट प्रावधान के अनुसार, ऐसा प्रत्येक शेयरधारक जो असाधारण बैठक की तारीख से पहले, पंजीयन के बंद होने की तारीख पर शेयरधारक के रूप में पंजीकृत हो चुका है, ऐसी बैठक में हाथ उठाकर मत देने की अवस्था में एक मत और निर्वाचन होने की अवस्था में उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत देने के लिए हकदार होगा।

found to be valid, the same shall be rejected after recording the reason therefor. If there is only one valid nomination for any particular vacancy to be filled by election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his name and address shall be published as so elected. In such an event there shall not be any election at the meeting convened for the purpose and if the meeting had been called solely for the purpose of the aforesaid election, it shall stand cancelled.

- (ii) In the event of an election being held, if valid nominations are more than the number of directors to be elected, the candidate polling the majority of votes shall be deemed to have been elected.
- (iii) A director elected to fill an existing vacancy shall be deemed to have assumed office from the date following that on which he is, or is deemed to be elected.

67. Election disputes

- (i) If any doubt or dispute shall arise as to the qualification or disqualification of a person deemed, or declared to be elected, or as to the validity of the election of a director, any person interested, being a candidate or shareholder entitled to vote at such election, may, within seven days of the date of the declaration of the result of such election, give intimation in writing thereof to the Chairman and Managing Director of the Bank and shall in the said intimation give full particulars of the grounds upon which he doubts or disputes the validity of the election.
- (ii) On receipt of an intimation under sub-regulation (i), the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director of the Bank shall forthwith refer such doubt or dispute for the decision of a committee consisting of the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director and any two of the directors nominated under clauses (b) and (c) of sub-section (3) of section 9 of the Act.
- (iii) The committee referred to in sub-regulation (ii) shall make such enquiry as it deems necessary and if it finds that the election was a valid election, it shall confirm the declared result of the election or, if it finds that the election was not a valid election, it shall, within 30 days of the commencement of the enquiry, make such order and give such directions including the holding of a fresh election as shall in the circumstances appear just to the committee.
- (iv) An order and direction of such committee in pursuance of this regulation shall be conclusive.

CHAPTER VI

(VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS)

68. Determination of voting rights-

- (i) Subject to the provisions contained in section 3(2E) of the Act, each shareholder who has been registered as a shareholder on the date of closure of the register prior to the date of a general meeting shall, at such meeting, have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

- (ii) अधिनियम की धारा 3 (2-ई) में निर्दिष्ट प्रावधान के अनुसार, उपरोक्तानुसार मत देने के लिए हकदार प्रत्येक शेयरधारक, जो एक कंपनी नहीं है, व्यक्तिगत अथवा प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित है अथवा जो कंपनी होने के नाते विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा, अथवा प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित है, हाथ उठाकर मत देने की अवस्था में एक मत और उपरोक्त उपविनियम 1 में ऊपर बताए अनुसार उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत देने के लिए हकदार होगा।

व्याख्या : इस अध्याय के लिए "कंपनी" का तात्पर्य कोई निकाय कॉर्पोरेट है।

- (iii) असाधारण बैठक में भाग लेने और मत देने के लिए हकदार बैंक के शेयरधारकों को अपने स्थान पर किसी व्यक्ति (भले ही वह शेयरधारक है या नहीं) को भाग लेने और मत देने के लिए प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करने का हक है परंतु इस प्रकार नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।

69. विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान

- (i) कोई शेयरधारक केंद्रीय सरकार अथवा कंपनी होने के नाते, प्रस्ताव द्वारा, जैसा भी मामला हो, अपने अधिकारियों में से किसी को अथवा अन्य व्यक्ति को शेयरधारकों की किसी असाधारण बैठक में अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है और ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति को (इन विनियमों में विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में संदर्भित) केंद्रीय सरकार अथवा कंपनी जिसका वह प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसकी ओर से वही शक्तियां प्रयोग करने का हक होगा जैसे कि वह बैंक का शेयरधारक होता। इस प्रकार प्रदत्त प्राधिकार दो व्यक्तियों को – एक के बाद एक – के पक्ष में हो सकता है और ऐसे मामले में ऐसे व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति केंद्रीय सरकार / कंपनी के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकता है।
- (ii) बैंक के शेयरधारकों की बैठक में कोई व्यक्ति तब तक कंपनी के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में न तो भाग ले सकता है अथवा मत दे सकता है जब तक कि जिस बैठक में उसे पारित संकल्प द्वारा विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था, उसके अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि बैंक के प्रधान कार्यालय में बैठक के लिए निर्धारित तारीख से चार दिन पहले जमा न कर दी गई हो।

70. प्रॉक्सी

- (i) वैयक्तिक शेयरधारक के मामले में प्रॉक्सी का कोई भी लिखत तब तक वैध नहीं होगा जबतक कि उसपर उसने अथवा लिखित रूप में सम्यक रूप से प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये गये हों अथवा संयुक्त शेयरधारकों के मामले में रजिस्टर में अंकित प्रथम शेयर धारक अथवा लिखित रूप में सम्यक रूप से प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा अथवा कंपनी निकाय के मामले में उसके अधिकारी अथवा लिखित रूप में सम्यक रूप से प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किये गये हों, परंतु प्रॉक्सी के लिखत पर किसी कारणवश ऐसे शेयरधारक के हस्ताक्षर के समुचित रूप से हस्ताक्षर होंगे जो किसी अपना नाम लिखने में असमर्थ हो, यदि उसका मार्क उसपर दर्ज है तो वह किसी जज, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार अथवा उप रजिस्ट्रार अथवा एशोरेन्सेज अथवा किसी सरकारी राजपत्रित अधिकारी अथवा बैंक के किसी अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।
- (ii) कोई भी प्रॉक्सी तब तक वैध नहीं होगी जबतक कि उसपर सम्यक रूप से मुहर न लगी हुई हो और उसकी प्रति बैठक की

- (ii) Subject to the provisions contained in Section 3(2E) of the Act, every shareholder entitled to vote as aforesaid who, not being a company, is present in person or by proxy or who being a company is present by a duly authorised representative, or by proxy shall have one vote on a show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him as stated hereinabove in sub-regulation (i).

Explanation - For this Chapter, "Company" means any body corporate.

- (iii) Shareholders of the Bank entitled to attend and vote at a general meeting shall be entitled to appoint another person (whether a shareholder or not) as his proxy to attend and vote instead of himself; but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.

69. Voting by duly authorised representative-

- (i) A shareholder, being the Central Government or a company, may by a resolution, as the case may be, authorise any of its officials or any other person to act as its representative at any general meeting of the shareholders and the person so authorised (referred to as a "duly authorised representative" in these regulations) shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government or company which he represents, as if he were an individual shareholder of the Bank. The authorisation so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as the duly authorised representative of the Central Government/company.
- (ii) No person shall attend or vote at any meeting of the shareholders of the Bank as the duly authorised representative of a company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorised representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank not less than four days before the date fixed for the meeting.

70. Proxies

- (i) No instrument of proxy shall be valid unless, in the case of an individual shareholder, it is signed by him or by his attorney duly authorised in writing, or in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his attorney duly authorised in writing or in the case of the body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.

Provided that an instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his name, if his mark is affixed thereto and attested by a judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government gazetted officer or an officer of the Bank.

- (ii) No proxy shall be valid unless it is duly stamped and a copy thereof deposited at the Head Office of the bank not less than four days before the date fixed for the meeting, together with the power of

नियत तारीख से चार दिन पहले का बैंक के प्रधान कार्यालय में मुख्तारनामे अथवा अन्य प्राधिकार, यदि कोई हो, जिसके तहत हस्ताक्षर किये गये हों अथवा नोटरी पब्लिक अथवा किसी मजिस्ट्रेट द्वारा मुख्तारनामे अथवा अन्य प्राधिकार की सत्य प्रति के रूप में अधिप्रमाणित के साथ जमा न कर दिया गया हो और साथ ही ऐसा मुख्तारनामा अथवा कोई प्राधिकार बैंक के पास पहले जमा अथवा रजिस्टर्ड न किया गया हो.

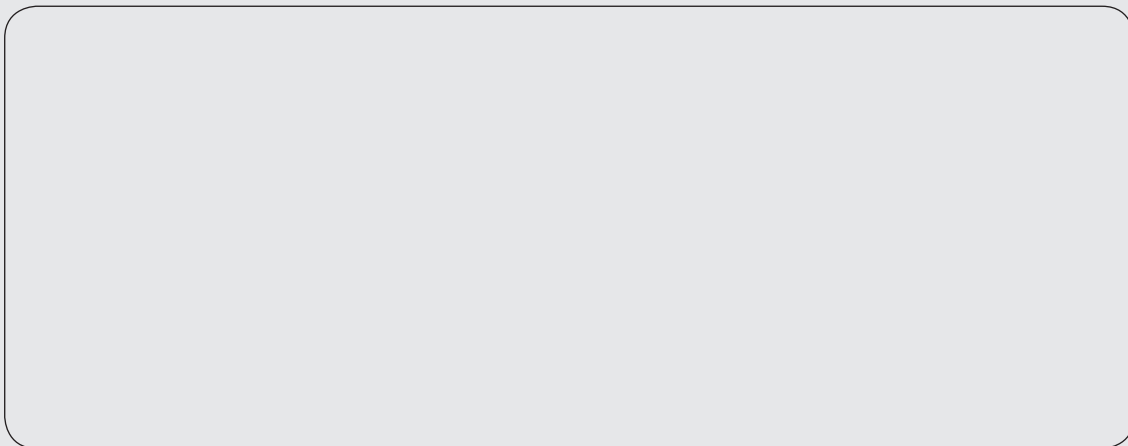
- (iii) प्रॉक्सी का कोई भी लिखत तब तक वैध नहीं होगा जबतक कि वह फार्म बी में न हो.
- (iv) बैंक के पास जमा किया गया प्रॉक्सी का कोई भी लिखत अपरिवर्तनीय तथा अंतिम होगा.
- (v) वैकल्पिक रूप से दो अभिदाताओं के पक्ष में अभिदत्त प्रॉक्सी के लिखत के मामले में एक फार्म से अधिक विलेख निष्पादित नहीं किया जायेगा.
- (vi) इस विनियम के तहत प्रॉक्सी के लिखत का अभिदाता उस बैठक में व्यक्तिगत रूप से वोट देने का पात्र नहीं होगा जिससे वह संबंधित है.
- (vii) कोई भी ऐसा व्यक्ति प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा जो बैंक का अधिकारी अथवा कर्मचारी है.

attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of that power of attorney or other authority certified as true copy by a Notary Public or a Magistrate unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank.

- (iii) No instrument of proxy shall be valid unless it is in Form 'B'
- (iv) An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final
- (v) In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- (vi) The grantor of an instrument of proxy under this regulation shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.
- (vii) No person shall be appointed as duly authorised representative or proxy who is an officer or an employee of the bank.



बुक पोस्ट
Book-Post



गैर सुपुर्दगी की स्थिति में नीचे दिए गए पते पर लौटायें :

मैसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड
(यूनिट: बैंक ऑफ़ बड़ौदा)
प्लॉट नं 17 से 24, इमेज हॉस्पिटल के पास
विठ्ठलराव नगर, माधापुर, हैदराबाद-500081
फोन नं : 040-2342 0815 से 820
फैक्स नं : 040-2342 0814
ई-मेल : einward.ris@karvy.com

If undelivered, please return to:

M/s Karvy Computershare Private Ltd
(Unit : Bank of Baroda)
Plot No.17 to 24, Near Image Hospital
Vittalrao Nagar, Madhapur
Hyderabad - 500 081
Phone No. 040 – 2342 0815 to 820,
Fax No. 040 – 2342 0814
e-mail : einward.ris@karvy.com